2021-22

वार्षिक
रिपोर्ट

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण
नई दिल्ली-110003
https://ntca.gov.in

श्री भूपेंद्र यादव

माननीय मंत्री

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

भारत सरकार

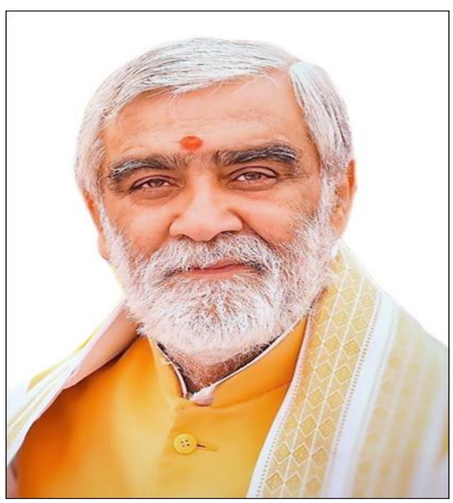

श्री अश्विनी कुमार चौबे

माननीय राज्य मंत्री

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

भारत सरकार

विषय सूची

अध्याय I	**प्रस्तावना**	2
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के उद्देश्य		2
अध्याय II	**राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन**	3
एनटीसीए के प्रकार्य		4
अध्याय III	**राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की बैठकें और उसमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय**	6
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक		6
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति		10
एनटीसीए तकनीकी समिति की 10वीं बैठक		10
एनटीसीए तकनीकी समिति की 11वीं बैठक		13
एनटीसीए तकनीकी समिति की 12वीं बैठक		16
एनटीसीए तकनीकी समिति की 13वीं बैठक		21
अध्याय IV	**राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित समितियां**	24
अध्याय V	**प्रशासनिक मामले**	29
व्याघ्र संरक्षण के लिए की गयीं महत्वपूर्ण पहलें		33
अन्य विविध कदम		38
अध्याय VI	**वित्त एवं लेखे - राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण**	47
अध्याय VII	**राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक योजना**	48
अध्याय VIII	**अनुपालन संबंधी मुद्दे**	49
अध्याय IX	**अनुलग्नक**	55
अनुलग्नक I भारत के व्याघ्र रिजर्वों की सूची		55
अनुलग्नक II व्याघ्र मृत्यु दर (प्राकृतिक एवं अन्य कारण)		57
अनुलग्नक III सीएसएस-प्रोजेक्ट टाइगर: 2021-22 के लिए स्वीकृति विवरण		65
अनुलग्नक IV - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए योजना व्यय (31.03.022 को)		68
वित्तीय विवरण (तुलन पत्र/आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा) एवं अनुसूचियाँ 1 से 25		(69-93)
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (पृ.ले.रि.)		(94-101)

अध्याय I : प्रस्तावना

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन वर्ष 2006 में यथा संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के समर्थकारी उपबंधों के अंतर्गत, उक्त अधिनियम के तहत इसे सौंपी गई शक्तियों एवं प्रकार्यों के अनुसार व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ करने के लिए किया गया है।

यह प्राधिकरण व्याघ्र प्रस्थिति के मूल्यांकन पर आधारित परामर्शी / निर्देशात्मक दिशानिर्देश, चालू संरक्षण पहलों और विशेष रूप से गठित समितियों के माध्यम से पर्यवेक्षण प्रतिधारित रखते हुए देश में व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के दायरे में अपने अधिदेश को पूरा कर रहा है। यह प्राधिकरण वर्तमान में 'टाइगर रिजर्व' के माध्यम से 18 व्याघ्र रेंज राज्यों में फैले 51 टाइगर रिजर्वों को निधियन सहायता प्रदान करता है। 'टाइगर रिजर्व' व्याघ्रों के यथा स्थिति संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित योजना है और इस योजना के माध्यम से विलुप्तप्राय व्याघ्र को विलुप्त होने से बचाकर पुनर्प्राप्ति के सुनिश्चित मार्ग पर लाया गया है, जैसा कि परिष्कृत पद्धति का उपयोग करते हुए अखिल भारतीय व्याघ्र अनुमान के हालिया निष्कर्षों में सामने आया है।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के लक्ष्य

वैज्ञानिक, आर्थिक, सौन्दर्यीकरण, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकीय मूल्यों के लिए भारत में व्याघ्रों की संख्या को जीवनक्षम स्तर तक बनाए रखने तथा लोगों को लाभ, उनकी शिक्षा एवं आनंद के लिए जैविक महत्व के क्षेत्रों का सदैव राष्ट्रीय धरोहर के रुप में संरक्षण करना।

1. व्याघ्र परियोजना को सांविधिक प्राधिकार प्रदान कराना ताकि इसके निर्देशों के अनुपालन को कानूनी दायरे में लाया जा सके।
2. हमारे संघीय ढांचे के अंतर्गत, राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन के लिए एक आधार प्रदान कर टाइगर रिजर्वों के प्रबंधन में केन्द्र-राज्य उत्तरदायित्व कायम हो।
3. संसद द्वारा निगरानी की व्यवस्था करना।
4. टाइगर रिजर्वों के आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोगों की आजीविका के हितों पर ध्यान देना।

अध्याय II : राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन दिनांक 04.09.2006 को, अन्य बातों के साथ-साथ व्याघ्र संरक्षण प्रबंधन में निर्देशात्मक मानकों को सुनिश्चित कर, आरक्षित क्षेत्र विशिष्ट व्याघ्र संरक्षण योजना तैयार कर, संसद के पटल पर वार्षिक / लेखापरीक्षा रिपोर्ट रखकर, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन कर और व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना कर व्याघ्र संरक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए किया गया था। राजपत्र अधिसूचना द्वारा गठित राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के वर्तमान सदस्य इस प्रकार है:

1.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री			अध्यक्ष
2.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री			उपाध्यक्ष
3.	सुश्री दीया कुमारी		संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
4.	श्री राजीव प्रताप रुडी		संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
5.	श्री हर्षवर्द्धन सिंह डुंगरपुर		संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
6.	श्री पी. आर. सिन्हा	पूर्व निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून,	मकान सं. के-1-12, सेक्टर-डी, प्रसाद लैब, कंकड़बाग कॉलोनी, पटना, बिहार-800020	सदस्य
7.	डॉ. तिष्यरक्षित चटर्जी	पूर्व सचिव, पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन	प्लॉट नं. 208 - ए, रोड नं. 14, जुबिली हिल्स, तेलंगना - 500033	सदस्य
8.	श्री हेमेन्द्र कोठारी	अध्यक्ष, डीएसपी ब्लैक रॉक	मफतलाल सेन्टर, दसवां तल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई - 400021	सदस्य
9.	डॉ. इराच भरूचा	निदेशक, भारती विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड रिसर्च	कटराज - धानकावाडी कैंपस, पुणे - सतारा रोड, पुणे - 411043	सदस्य
10.	श्री बी. के. पटनायक	सेवा निवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तर प्रदेश	105, सुरेखा विला, मिगमानन्दा नगर, लेन-2, बोमीखाल, भुवनेश्वर, ओडिशा -751012	सदस्य
11.	श्री एस. एस. श्रीवास्तव, भा.व.से.	सेवानिवृत्त पीसीसीएफ एवं एचओएफएफ, ओडिशा	फ्लैट नं. बी-031, राहेजा अटलांटिस, सेक्टर - 31, गुड़गांव (हरियाणा) - 122001	सदस्य

12.	श्री अनिश अंधेरिया (पीएचडी)	वन्यजीव संरक्षण न्यास	मफतलाल सेंटर, 11वां तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400021	सदस्य
13.	श्री खगेश्वर नायक	सेवानिवृत्त क्षेत्र निदेशक, कान्हा टाइगर रिजर्व	एस.वी. 19, श्रीखेत्र विहार, ऐगिनिया, जिला खुर्दा, भुवनेश्वर, ओडिशा - 751019	सदस्य
14.	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय			सदस्य
15.	वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय			सदस्य
16.	सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय			सदस्य
17.	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय			सदस्य
18.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग			सदस्य
19.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग			सदस्य
20.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय			सदस्य
21.	निदेशक, वन्य जीव परिरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय			सदस्य
22.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तर प्रदेश			सदस्य
23.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, तेलंगना			सदस्य
24.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम			सदस्य
25.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, ओडिशा			सदस्य
26.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, झारखंड			सदस्य
27.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, महाराष्ट्र			सदस्य
28.	संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय			सदस्य
29.	अपर महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय			सदस्य सचिव

एनटीसीए के कृत्य:

वर्ष 2006 में यथा-संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ण के तहत राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य इस प्रकार हैं :

(क) इस अधिनियम की धारा 38फ की उप-धारा (3) के तहत राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई व्याघ्र संरक्षण योजना का अनुमोदन करना;

(ख) पोषणीय पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन और निर्धारण करना तथा व्याघ्र आरक्षिति में पारिस्थितिकी की अपोषणीय भूमि के उपयोग जैसे खनन उद्योग और अन्य परियोजनाओं को अननुज्ञात करना;

(ग) व्याघ्र आरक्षिति के भीतर और आसपास के क्षेत्र में व्याघ्र संरक्षण के लिए समय-समय पर न्यूनतम मानक, पर्यटन क्रियाकलाप और व्याघ्र परियोजना के लिए मार्गनिर्देश अधिकथित करना तथा उनका सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करना;

(घ) राष्ट्रीय उपवन अभ्यारण्य या व्याघ्र आरक्षित के बाहर व्याघ्र वाले वन क्षेत्रों में मनुष्य और वन्य प्राणियों में टकराव और सह-अस्तित्व पर विचार करने के लिए कार्यकरण योजना संहिता में प्रबंध बिंदु और उपाय उपबंधित करना;

(ङ) संरक्षण उपायों जिनके अंतर्गत भविष्य संरक्षण योजना, व्याघ्र और इसकी प्राकृतिक भक्ष्य प्रजातियों की जीव संख्या का प्राक्कलन, आवासियों की प्रास्थिति, व्याधि निगरानी, मृत्यु-दर सर्वेक्षण, पैट्रोलिंग, अग्रगामी घटनाओं के सम्बंध में रिपोर्टों और ऐसे अन्य प्रबंध पहलू जो आवश्यक प्रतीत हों, जिनके अंतर्गत भविष्य योजना संरक्षण भी है, के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना;

(च) व्याघ्र, सहप्रजातियों, भक्ष्य आवास, संबंधित पारिस्थितिकीय और सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और उनके मूल्यांकन का अनुमोदन करन, उनके संबंध में अनुसंधान का समन्वय करना और उसकी मानीटरी करना;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि व्याघ्र आरक्षितियों और एक संरक्षित क्षेत्र या व्याघ्र आरक्षिति को अन्य संरक्षित क्षेत्र या व्याघ्र आरक्षिति को जोड़ने वाले क्षेत्रों के पारिस्थितिकीय अपोषणीय उपयोगों के लिए लोकहित और व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन के सिवाय विचलित नहीं किया गया है;

(ज) केंद्रीय और राज्य विधियों से सुसंगत निकटस्थ क्षेत्रों में पूर्व अनुमोदित प्रबंध योजनाओं के अनुसार राज्य में जैव विविधता संरक्षण पहलुओं के लिए पारिस्थितिकी के विकास और जनता की भागीदारी के माध्यम से व्याघ्र आरक्षित प्रबंध को सुकर बनाना और समर्थन करना;

(झ) व्याघ्र संरक्षण योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए संकटकालीन समर्थन जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी और विधिक समर्थन, भी है सुनिश्चित करना;

(ञ) व्याघ्र आरक्षिति के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की कुशलता के विकास के लिए चलाए जा रहे क्षमता निर्माण के कार्यक्रम को सुकर बनाना; और

(ट) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो व्याघ्रों के संरक्षण और उनके आवास के संबंध में आवश्यक हों ।

अध्याय-III राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की बैठकें और उन बैठकों में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 19वीं बैठक

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 19वीं बैठक श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और अध्यक्ष, एनटीसीए की अध्यक्षता में 05 जनवरी 2022 को महानदी सम्मेलन कक्ष, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली में आयोजित की गयी।

कार्यसूची मदवार चर्चा एवं निर्णय

(क) **कार्यसूची मद सं. 1**: दिनांक 07.12.2020 को आयोजित 18वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

निर्णय : सदस्यों ने एनटीसीए की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

(ख) कार्यसूची मद संख्या 2 : एनटीसीए की 18वीं बैठक संबंधी कृत कार्रवाई रिपोर्ट

अ.म.नि. (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) के मुख्य बिन्दुओं का संक्षेप में वर्णन किया।

निर्णय : सदस्यों ने एनटीसीए की 17वीं बैठक में एटीआर को अनुमोदित किया।

(ग) कार्यसूची मद सं. 3 : वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट और बजट/व्यय अनुसूची का अनुमोदन

अ.म.नि. (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने सूचित किया कि वर्ष 2020-21 के दौरान अनुदान सहायता और अनुदान सहायता वेतन के अंतर्गत संस्वीकृत बजट का उपयोग 98.30 प्रतिशत रहा।

निर्णय : सदस्यों ने वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट और बजट/व्यय अनुसूचियों को अनुमोदित किया।

(घ) कार्यसूची मद सं. 4: एनटीसीए सचिवालय से सूचना अद्यतन

(i) नये टाइजर रिजर्व (श्रीविल्लीपुथुर मेगामलाइ टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु)
(ii) समितियां गठित की गयीं (विशेषज्ञ / मूल्यांकन)
)iii) व्याघ्र संरक्षण योजनाओं की स्थिति (टीसीपी)

निर्णय: सदस्यों ने अद्यतनों पर ध्यान दिया।

(ङ) **कार्यसूची मद सं. 5 :** एनटीसीए की तकनीकी समिति के निर्णयों और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनडब्ल्यूबीएल) को की गयी सिफारिशों का मूल्यांकन और संपुष्टि।

एडीजी (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने प्रस्तुत किया कि एनटीसीए की तकनीकी समिति के वर्तमान कार्यकाल के दौरान पॉच तकनीकी समिति बैठकें आयोजित की गयीं थी और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ण के अंतर्गत एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति को कुल 16 विकासात्मक प्रस्तावों की सिफारिश की गयीं थी।

निर्णय : सदस्यों ने तकनीकी समिति के निर्णयों और एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति को की गयी सिफारिशों की पुष्टि की।

(च) **कार्यसूची मद सं. 6** : सुश्री दिया कुमारी, माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया :

(i) कुंभलगढ़ और तोड़गढ़ रावली अभ्यारण्य (प्रस्तावित कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व) राजस्थान में 5वें टाइगर रिजर्व के विकास के लिए उच्च क्षमता स्थल के रूप में।

मुख्य वन्य जीव वार्डन, राजस्थान ने संक्षेप में बताया कि कुंभलगढ़ व्याघ्रों के पर्यावास के लिए कोई आदर्श स्थान नहीं है। वहॉ उनके शिकार आधार को विस्तार दिए जाने की जरूरत है। इसका मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) एनटीसीए की मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व संबंधी प्रगति और निष्कर्ष रिपोर्ट के बारे में सुचना दी गयी थी।

निर्णय : इस विषय पर अंतिम मत बनाने के लिए माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, सदस्यों के साथ कुंभलगढ़ का दौरा करेंगे।

(छ) **कार्यसूची मद संख्या 6.1 :** श्री राजीव प्रताप रुड़ी, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया

(i) केंद्र प्रयोजित योजना - व्याघ्र परियोजना को पर्याप्त निधियन सहायता

(ii) अखिल भारतीय व्याघ्र आकलन

(iii) टाइगर रिजर्वों में कार्यरत सभी श्रेणियों के फील्ड-कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बीमा।

(iv) सूक्ष्मतर पैमाने पर कॉरिडोर का परिनिर्धारण

(v) व्याघ्र संरक्षण हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग

सदस्यों को एडीजी (पीटी) और एमएस (एनटीसीए) द्वारा संक्षिप्त जानकारी दी गयी थी।

(ज) **कार्यसूची मद संख्या 7** : श्री एस एस श्रीवास्तव, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त) द्वारा प्रस्तावित

(i) भारत में व्याघ्र कॉरिडोरों का प्रबंधन

ऊपर उल्लिखित मद पर पहले ही एडीजी (पीटी) और सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने संक्षिप्त जानकारी दे दी थी।

माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने निम्नलिखित टिप्पणियां की और निर्णय लिए :

i. अब से एनटीसीए की बैठकों की आवृति जनवरी, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर का प्रथम सप्ताह होगी।
ii. एनटीसीए की अगली बैठक किसी टाइगर रिजर्व में आयोजित की जाएगी।
iii. जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में, यह कहा गया था कि व्याघ्र संरक्षण हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ एक संयुक्त बैठक का प्रस्ताव किया जा रहा है।
iv. पर्यटन प्रबंधन के संबंध में, मूल क्षेत्र सख्त विनियमों के साथ बिल्कुल 'प्रवेश निषेध क्षेत्र' होगा, शेष क्षेत्र को इन वाहनों की जीपीएस टैगिंग पर्यटन वाहनों के लिए 'एक तरफा रास्ता' जैसे प्रावधानों के साथ उचित तरीके से प्रबंधित किया जाना है। यह निरपवाद रूप से प्रबंधन योजना का हिस्सा होगा।
v. देश में व्याघ्रों के अवैध शिकार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एयर गन सरेंडर के कदम की सराहना की और कहा कि इस तरह की और पहल की जानी चाहिए। आगे यह टिप्पणी की गयी कि देश की अनूठी संरचना को देखते हुए वन और प्राकृतिक संसाधनों को अलग-अलग प्रबंधित नहीं किया जा सकता है। संरक्षण के प्रयोजन के लिए समुदायों को एकीकृत करना बहुत महत्व रखता है और इस दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए।
vi. एक प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है जो, सूचना के प्रसार में आसानी के लिए एकल खिड़की प्रणाली, जो देश के टाइगर रिजर्व की सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगी।
vii. समग्र व्याघ्र संरक्षण के लिए नीतिगत निर्णय लेने हेतु एक दो सदस्यीय समिति (प्रत्येक टाइगर रिजर्व के लिए) के गठन के निर्देश दिए। यह समिति टाइगर रिजर्वों की दौरा करेगी (अप्रैल माह तक दो पार्कों का लक्ष्य)।

उक्त समिति उसके द्वारा दौरा किए गए क्षेत्र के संबंध में उस पर निर्भर समुदाय, पार्क की विशिष्टताएं/ उसका अनूठापन, पर्यटक प्रवाह, आसपास के होटल और अन्य संबंधित जानकारी प्रदान करेगी।

viii. टाइगर रिजर्व में कार्यरत क्षेत्र कर्मचारियों तक ई-श्रम और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) का लाभ पहुँचाया जाना है।

ix. मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पारिस्थितिकी-पर्यटन दिशा-निर्देशों को सदस्यों के बीच परिचालित किया जाना चाहिए।

x. जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से भारतीय वनों एक बड़ी भूमिका है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिए जाने की आवश्यकता को चिन्हांकित किया गया।

xi. सीआईटीईएस के एक हस्ताक्षरी के रूप में भारत के महत्व को भी इंगित किया गया था और तदनुसार इसके प्रावधानों को शामिल करते हुए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को संशोधित किया जा रहा है।

xii. वनों पर निर्भरता को कम करने के लिए कृषि वानिकी के पहलुओं को बढ़ावा देना और पुनर्जीवित करना, कृषि क्षेत्रों में औषधीय पौधों को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है।

xiii. रेलवे के प्रस्ताव पर इस बाबत फिर से विचार करने के लिए कि किन प्रस्तावों को छोड़ दिया जाना है या संरक्षित क्षेत्र से बाहर ले जाया जा सकता है, विश्लेषण करने हेतु रेलवे प्राधिकारियों के साथ चर्चा की जानी चाहिए।

xiv. परिवेश पोर्टल के उन्नयन की आवश्यकता है जिसके तहत जब कभी प्रस्तावित संरेखण में वन भूमि आ रही होगी, प्रयोक्ता एजेंसी को पूर्व सूचना दी जाएगी ।

xv. सदस्यों को जैव-विविधता अधिनियम / वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, आईएफसी में किए जा रहे संशोधन के बारे में सूचित किया गया।

xvi. सभी टाइगर रिजर्वों, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों की योजना/प्रस्तावों को तत्काल प्रभाव से अंतिम रूप दिया जाना है।

माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और अध्यक्ष, एनटीसीए ने एनटीसीए द्वारा किए गए प्रयासों पर संतुष्टि व्यक्त की। यह बैठक अध्यक्ष और प्रतिभागियों को धन्यवाद के साथ संपन्न हुई।

<u>राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति</u>

<u>एनटीसीए तकनीकी समिति की 10वीं बैठक</u>

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की तकनीकी समिति की 10वीं बैठक 21 जून, 2021 को आयोजित की गयी थी।

<u>कार्यसूची मद सं. 1</u>

राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 500 चीतल और रणथंभौर टाइगर रिजर्व के करौली में 150 चीतल को छोड़ना।

निर्णय : एनटीसीए पर बिना किसी लागत और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और अन्य एजेंसियों से सांविधिक अनुमोदनों/मंजूरी के अध्यधीन अनुमोदन हेतु अनुशंसित।

<u>कार्यसूची मद सं. 2</u>

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पंचमढ़ी में टाइगर सफारी।

निर्णय: एनटीसीए पर बिना किसी लागत और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और अन्य एजेंसियों से सांविधिक अनुमोदनों/अनापत्तियों के अध्यधीन अनुमोदन हेतु अनुशंसित।

<u>कार्यसूची मद सं. 3</u>

रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, राजस्थान और इसके आसपास के क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करना।

निर्णय: रामगढ़ विषादरी अभयारण्य, राजस्थान और इसके आसपास के क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी हेतु अनुशंसा की गयी।

<u>कार्यसूची मद सं. 4</u>

पुणे चिड़ियाघर और सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य से सह्याद्री टाइगर रिजर्व में चीतल और सांभर को छोड़ना।

निर्णय : केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संगरोध नीति के अध्यधीन चीतल और सांभर को छोड़ने के प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी।

<u>कार्यसूची मद सं. 5</u>

ढेला, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी की स्थापना

निर्णय: केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और अन्य एजेंसियों से वैधानिक अनुमोदन / मंजूरी के अधीन अनुमोदन के लिए अनुशंसित।

एनटीसीए सीएसएस-प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से वित्त पोषण में सहायता करने में सक्षम नहीं होगा।

<u>कार्यसूची मद सं. 6</u>

रणथंभौर टाइगर रिजर्व (आरटीआर) से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व (एमएचटीआर) में व्याघ्र स्थानांतरण।

निर्णय: एनटीसीए टीम द्वारा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिकार आधार मूल्यांकन के बाद निर्णय लिया जाएगा।

<u>कार्यसूची मद सं. 7</u>

राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड की व्याघ्र संरक्षण योजना।

निर्णय: टाइगर रिजर्व के अंदर और टाइगर रिजर्व में परिधीय सड़क पर स्वास्थ्य केंद्र एनटीसीए के टीसीपी दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है। अगली बैठक के दौरान इस योजना की और जांच और चर्चा की जाएगी।

<u>कार्यसूची मद सं. 8</u>

इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान, नागालैंड में व्याघ्र पर्यावास संवर्धन।

निर्णय: एनटीसीए फ्रंटलाइन कर्मचारियों की निगरानी और क्षमता निर्माण के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये (दस लाख रुपये) प्रदान करेगा।

<u>कार्यसूची मद सं. 9</u>

मिश्मी हिल्स, अरुणाचल प्रदेश में फील्ड सहायकों के योगदान पर लिखी गयी एक पुस्तक का प्रकाशन।

निर्णय: प्रस्ताव की जांच की जाएगी।

<u>कार्यसूची मद सं.   10</u>

20 बारासिंघा को कान्हा टाइगर रिजर्व से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित करना।

निर्णय: कान्हा टाइगर रिजर्व में बारासिंघा आबादी पर स्थानान्तरण के प्रभावों का आकलन करने के लिए एक सामानांतर अध्ययन किया जाएगा।

प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गयी।

एनटीसीए तकनीकी समिति की 11वीं बैठक

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की तकनीकी समिति की 11वीं बैठक 01 सितंबर, 2021 को आयोजित की गयी थी।

कार्यसूची मद सं. 1

राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, राजस्थान में नरम बाड़े से बाघिन एमटी -4 को मुक्त करने और एक नर व्याघ्र के स्थानान्तरण के संबंध में मुख्य वन्यजीव वार्डन, राजस्थान सरकार से प्राप्त प्रस्ताव।

कमेटी ने एमटी-4 बाघिन को नरम (सॉफ्ट) बाड़े से मुक्त कराने के कार्यसूची मद पर विचार किया।

इस चर्चा से उभर कर आ मुख्य बिंदु इस प्रकार थे :

1. वर्तमान में बाड़े के भीतर शिकार आधार की उपलब्धता बहुत कम है और शिकार आधार की स्थिति का तेजी से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
2. चीतल स्थानान्तरण की प्रस्थिति जिसे पूर्व तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था
3. वन विभाग द्वारा उचित पुन: समावेशन योजना तैयार करना।

निर्णय : तकनीकी समिति ने निर्णय लिया कि वन विभाग/एनटीसीए द्वारा गठित टीम द्वारा बाड़े में शिकार आधार की प्रस्थिति का त्वरित मूल्यांकन किया जाएगा।

कार्यसूची मद सं. 2

ओरंग टाइगर रिजर्व, असम की व्याघ्र संरक्षण योजना को मंजूरी।

क्षेत्र निदेशक द्वारा एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई। एनटीसीए द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को टीसीपी के मसौदे में शामिल किया गया।

निर्णय: ओरंग टाइगर रिजर्व के टीसीपी के मसौदे को मंजूरी हेतु अनुशंसित किया जाता है।

<u>कार्यसूची मद सं. 3</u>

भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले टाइगर रिजर्व: दिबांग टाइगर रिजर्व के लिए मसौदा प्रस्ताव। डीएफओ, अनिनी ने व्याघ्र संरक्षण के लिए क्षेत्र की सीमा और महत्व को कवर करते हुए प्रस्तावित उच्च ऊंचाई वाले व्याघ्र अभयारण्य पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी।

किए गए शोध अध्ययनों ने व्याघ्रों जो आनुवंशिक रूप से विशिष्ट हैं, के संरक्षण में दिबांग घाटी के महत्व पर प्रकाश डाला है ।

निर्णय: उच्च ऊंचाई पर व्याघ्र संरक्षण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, समिति ने प्रस्ताव के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन की सिफारिश की और अरुणाचल वन विभाग से अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

<u>कार्यसूची मद सं. 4</u>

राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड की व्याघ्र संरक्षण योजना की स्वीकृति।

व्याघ्र संरक्षण योजना (टीसीपी) का मसौदा, जिसे ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा तैयार किया गया था, काफी हद तक बदल दिया गया है और इसमें कई प्रावधान किए गए हैं जो व्याघ्र संरक्षण के सिद्धांतों के विपरीत हैं।

निर्णय : समिति ने प्रस्ताव को इस निर्णय के साथ स्थगित कर दिया कि एनटीसीए मसौदा टीसीपी में विहित परामर्शों पर चर्चा करने के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठक करेगा।

<u>कार्यसूची मद सं. 5</u>

चीता पुन:स्थापना का फिल्मांकन - श्री भटनागर।

समिति ने प्रस्ताव को इस निर्णय के साथ स्थगित कर दिया है कि राज्य वन विभागों के परामर्श से एक पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जो सभी इच्छुक पक्षकारों को चीता पुन:स्थापन फिल्माने में समान अवसर प्रदान करता है।

कार्यसूची मद सं. 6

गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला डब्ल्यूएलएस को टाइगर रिजर्व घोषित करना

छत्तीसगढ़ वन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित व्याघ्र अभयारण्य पर एक प्रस्तुति दी गई जिसमें स्थानीय समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका सृजित करने और मध्य भारतीय परिदृश्य के व्याघ्र अभयारण्यों को जोड़ने की क्षमता पर प्रकाश डाला गया।

निर्णय: समिति ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 V (1) के तहत गुरु घासीदास और तमोर पिंगला डब्ल्यूएलएस को एक नए व्याघ्र अभयारण्य के रूप में के निर्माण की अनुशंसा की।

एनटीसीए तकनीकी समिति की 12वीं बैठक

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की तकनीकी समिति की 12वीं बैठक 23 नवंबर, 2021 को आयोजित की गयी थी।

कार्यसूची मद सं. 1

सुश्री अंबिका अय्यादुरई, सहायक प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर वन्यजीव अनुसंधान और संरक्षण में फील्ड सहायक से प्राप्त प्रस्ताव : अरुणाचल प्रदेश का वृत्त अध्ययन।

परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्ताव से 4 कार्यशालाओं को हटा दिया है जिससे बजट घटकर 4 लाख रुपये हो गया है। इसके अलावा, फील्ड सहायकों के कार्य के लिए स्थानीय लोगों को रखा जाएगा और प्रस्ताव में संरक्षण पहलू भी शामिल होगा।

निर्णय : प्रस्ताव की अनुमोदन हेतु अनुशंसा की गयी है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के पास उपलब्धता के अध्यधीन 4 लाख रुपये की धनराशि जारी की जाएगी।

कार्यसूची मद संख्या 2

सरिस्का टाइगर रिजर्व में व्याघ्र/बाघिन के लिए रेडियो-कॉलर की आवश्यकता के संबंध में क्षेत्र निदेशक, सरिस्का टाइगर रिजर्व से प्राप्त प्रस्ताव।

इस पर चर्चा से उभर कर आए मुख्य बिंदु इस प्रकार थे :

- सरिस्का टाइगर रिजर्व में व्याघ्रों की रेडियो कॉलरिंग कार्य का आकलन करने की आवश्यकता है,
- पहले से ही रेडियो कॉलर वाले व्याघ्रों की प्रस्थिति के आधार पर, यह तय किया जाएगा कि कॉलर कैसे / कब बदलें /निकालें,
- व्याघ्रों में गैर-कार्यात्मक कॉलर पर विचार करने की आवश्यकता है,
- व्याघ्रों की रेडियो कॉलरिंग लोगों और व्याघ्रों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, स्थानीय क्षेत्र की स्थितियों के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाना है

निर्णय: राजस्थान में व्याघ्रों की रेडियो कॉलरिंग से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक समिति (राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय वन्यजीव संस्थान और व्याघ्र संरक्षण के क्षेत्र में अन्य विशेषज्ञों को शामिल करते हुए) गठित की जाएगी।

कार्यसूची मद सं. 3

कान्हा एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से संजय टाइगर रिजर्व में गौर पुन:स्थापित करने की योजना के संबंध में मुख्य वन्यजीव वार्डन (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू), मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव

चर्चा से उभर कर आए मुख्य बिंदु इस प्रकार थे :

- कान्हा टाइगर रिजर्व से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गौर को पुन: स्थापित करने के संबंध में एक सफल प्रयास किया गया है
- आनुवंशिक विविधता में सुधार हेतु गौर को सतपुड़ा और कान्हा से संजय टाइगर रिजर्व में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है
- संजय टाइगर रिजर्व में गौरों के विलुप्त होने के कारणों की जांच के लिए अध्ययन किया जाना चाहिये

निर्णय : कान्हा एवं संजय टाइगर रिजर्व से गौर के स्थानान्तरण एवं पुन:स्थापन के प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गयी।

कार्यसूची मद सं 4

कान्हा टाइगर रिजर्व से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में बारासिंघा के स्थानान्तरण की अनुमति के संबंध में मुख्य वन्यजीव वार्डन (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू), मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव।

चर्चा से उभर कर आने वाले मुख्य बिंदु इस प्रकार थे :

- कान्हा में बारासिंघा आबादी पर इस तरह के स्थानान्तरण के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक प्रभाव मॉडल तैयार किए जाने की आवश्यकता है। (इस तरह के स्थानान्तरण से कान्हा की आबादी को नुकसान नहीं होना चाहिए) ।
- सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में लगातार आवर्धन की जरूरत है जब तक कि बारासिंघा की एक व्यवहार्य आबादी स्थापित नहीं हो जाती।
- राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण इस अवसर का उपयोग अन्य रिजर्व के कर्मचारियों को ऐसी प्रजातियों के स्थानान्तरण के संबंध में प्रशिक्षित करने के लिए कर सकता है।

निर्णय : राज्य द्वारा दीर्घकालिक योजना प्रस्तुति के अध्यधीन, प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया जाता है। इसके अलावा, स्थानान्तरण की दीर्घकालिक निगरानी और समय-समय पर प्रगति को अद्यतन करने के लिए एक समिति का गठन किया जा सकता है।

<u>कार्यसूची मद सं 5</u>

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में टाइगर सफारी और वन्यजीव बचाव केंद्र के निर्माण के संबंध में क्षेत्र निदेशक, ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व से प्राप्त प्रस्ताव

निर्णय: केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में टाइगर सफारी सह बचाव केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए अनुशंसा किया गया।

<u>कार्यसूची मद सं 6</u>

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गैंडों को बसाने के संबंध में मुख्य वन्यजीव वार्डन (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू), उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्ताव।

निर्णय: अधिक जानकारी के अभाव में प्रस्ताव को बाद में विचार करने हेतु स्थगित किया गया।

कार्यसूची मद सं 7

रणथंभौर टीआर की व्याघ्र संरक्षण योजना (अवधि 2013-14 से 2022-23 तक)

इस मुद्दे में रणथंभौर टाइगर रिजर्व की व्याघ्र संरक्षण योजना (2013-12 से 2022-23) की मंजूरी शामिल है।

निर्णय : तकनीकी समिति ने वर्ष 2013-14 से वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए व्याघ्र संरक्षण योजना (टीसीपी) को नोट किया है। तकनीकी समिति उन सभी प्रबंधन गतिविधियों/हस्तक्षेपों का समर्थन करती है जिन्हें इस अवधि के दौरान उक्त व्याघ्र अभयारण्य के संचालन की वार्षिक योजना (एपीओ) के माध्यम से अनुमोदित किया गया था।

इसके अलावा तकनीकी समिति ने 3 महीने के भीतर वर्ष 2022-23 से वर्ष 2032-33 तक की अवधि के लिए संभावित व्याघ्र संरक्षण योजना, जो एनटीसीए के मौजूदा दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में हो, को मंगाए जाने का निर्णय लिया है ।

<u>कार्यसूची मद सं 8</u>

मुख्य वन्य जीव संरक्षक, मध्य प्रदेश द्वारा चीता स्थापन के फिल्मांकन का प्रस्ताव।

संरक्षण के क्षेत्र में चीता का स्थापन एक ऐतिहासिक घटना होने जा रही है।

निर्णय: प्रथम फिल्मांकन उद्यम को व्यावसायिक न होकर वैज्ञानिक (केवल अभिलेख उद्देश्य के लिए) होने दें। चूंकि यह एक दीर्घकालिक परियोजना होने जा रही है, इसलिए बाद के चरण में उचित फिल्मांकन किया जा सकता है।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण फिल्मों / वृत्तचित्रों के लिए दिशानिर्देश / शर्तें बनाएगा।

<u>कार्यसूची मद सं 9</u>

कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करने के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू), बिहार का प्रस्ताव
इस चर्चा से उभर कर आने वाले मुख्य बिंदु इस प्रकार थे :

- समग्र रूप से प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल देश के अन्य टाइगर रिजर्वों की तुलना में बड़ा है
- व्याघ्र प्रस्तावित स्थल पर आते हैं और उक्त स्थान का चन्द्रप्रभा अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश और संजय - डुबरी टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के साथ कॉरिडोर संपर्क है।

निर्णय : इस प्रस्ताव "सैद्धांतिक रूप से" अनुमोदनार्थ अनुशंसा की जाती है, परंतु यह राज्य सरकार से विस्तृत प्रस्ताव (मूल एवं प्रतिरोधक पट्टी का सीमांकन और प्रस्तावित स्थान में और उसके आस-पास के गॉवों के बारे में सूचना) की प्रस्तुति के अध्यधीन होगा।

<u>कार्यसूची मद सं. 10</u>
रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन (टी-124) के स्थानांतरण के लिए सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, राजस्थान से प्राप्त प्रस्ताव

टी-124 के स्थानान्तरण के प्रस्ताव को 21 मार्च को स्वीकृत किया गया था लेकिन राज्य द्वारा यह स्थानान्तरण नहीं किया जा सका। अब तक जमीनी स्थिति में बदलाव की संभावना है। इसलिए टी-124 की स्थिति पर फिर से गौर करने की जरूरत है। साथ ही किसी अन्य बाघिन को सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने की संभावना तलाशी जा सकती है।

निर्णय: सरिस्का, राजस्थान में व्याघ्रों के स्थानांतरण के सभी प्रस्तावों पर मध्यावधि समीक्षा में विचार-विमर्श किया जाएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व की मध्यावधि समीक्षा के साथ-साथ व्याघ्रों के स्थानान्तरण / पुन:स्थापन के अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी।

<u>कार्यसूची मद संख्या</u> 11

सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, राजस्थान से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में चीता और व्याघ्र के सह-अस्तित्व से सबंधित प्राप्त प्रस्ताव

इस चर्चा से उभर कर आए बिंदु इस प्रकार थे :

मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में पहले से ही बनाया गया बाड़ा केवल चीता के मंचन और प्रजनन उद्देश्यों के लिए आदर्श है।

निर्णय : माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रायोगिक आधार पर चीता स्थापन के लिए प्रथम चरण में विशेषज्ञों द्वारा कुनो-पालपुर स्थल का चयन किया गया है। अगले चरण में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जैसे अन्य स्थलों पर भी विचार किया जा सकता है।

<u>कार्यसूची मद संख्या</u> 12

अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य कार्यसूची मद :

निम्नलिखित मदों पर चर्चा की गयी :

- चीता स्थापन के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी के साथ कार्य योजना
- भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) ने आईयूसीएन दिशानिर्देशों के आधार पर वर्ष 2009 से मौजूदा जानकारी को समेकित किया है
- यह दस्तावेज़ इसके सभी पहलूओं में अपनी तरह का प्रथम है
- चीता स्थापन के प्रथम चरण के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज

निर्णय : चीता स्थापन संबंधी प्रस्तावित कार्य योजना के अनुमोदन हेतु अनुशंसा की गयी।

श्रीमती स्वाति दुमाने, ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में वन रक्षक को एक बाघिन ने ड्यूटी के दौरान मार डाला। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व के व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन के माध्यम से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को 2 लाख की टोकन राशि देने का प्रस्ताव रखा।

निर्णय : 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि के भुगतान के प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु अनुशंसा की गयी।

एनटीसीए तकनीकी समिति की 13वीं बैठक

7 फरवरी, 2022 को आयोजित राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की तकनीकी समिति की 13वीं बैठक का कार्यवृत्त।

कार्यसूची मद संख्या 1

कान्हा-पेंच कॉरिडोर भू-दृश्य में ट्रेलगार्ड कैमरा एआई प्रणाली का उपयोग करने के लिए टाइगर्स यूनाइटेड यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम (यूएसए) / जीटीएफ टीम को अनुमति देने का प्रस्ताव।

इस चर्चा से उभरकर आए मुख्य बिंदु इस प्रकार थे :

- एआई सिस्टम कैमरे में ही अंतर्निर्मित होता है। कैमरा अपने आप छवि की पहचान करता है और उसे अलग करता है।
- कैमरे का बैटरी जीवन कई वर्षों का है और आकार में बहुत छोटा है जिससे आसानी से छलावरण हो सकता है।
- यह तकनीक वर्तमान में परीक्षण के चरण में है, और यह प्रस्ताव प्रायोगिक परीक्षण परियोजना का हिस्सा है।

निर्णय : राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को प्रायोगिक अध्ययन की सिफारिशों के साथ रेखांकित सुरक्षा सरोकारों पर अमल करने और परिणामों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी।

कार्यसूची मद संख्या 2

20 बारासिंघा को कान्हा टाइगर रिजर्व से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने की अनुमति से संबंधित प्रस्ताव

इस चर्चा से उभर कर आए मुख्य बिंदु इस प्रकार थे :

- सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बारासिंघा की वर्तमान आबादी लगभग 115 है।
- उक्त आबादी में वृद्धि हेतु 20 बारासिंघा को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
- 68 बारासिंघा को पहले ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया जा चुका है।
- कान्हा टाइगर रिजर्व में बारासिंघा की वर्तमान स्रोत आबादी 900 से अधिक है, हालांकि, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कान्हा टीआर की बारासिंघा आबादी इस प्रक्रिया में कम / प्रभावित न हो।

निर्णय : 20 बारासिंघा को कान्हा टाइगर रिजर्व से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने की अनुमति से सबंधित प्रस्ताव की अनुमोदन हेतु अनुशंसा की गयी।

कार्यसूची मद संख्या 3

कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व के लिए स्वैच्छिक कार्बन बाजार परियोजना विकसित करने संबंधी प्रस्ताव

इस चर्चा से उभर कर आए मुख्य बिंदु इस प्रकार थे :

- इस प्रस्ताव के अनुमोदन से एनटीसीए / राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा।
- सुंदरबन, दुधवा, पेंच (महाराष्ट्र) और पेरियार टाइगर रिजर्व पहले से ही इस परियोजना को लागू कर रहे हैं।

निर्णय : कान्हा एवं पेंच टाइगर रिजर्व के लिए स्वैच्छिक कार्बन बाजार परियोजना विकसित करने के संबंधी प्रस्ताव के अनुमोदन की अनुशंसा की गयी।

कार्यसूची मद संख्या 4

मुकुंदरा पहाड़ी टाइगर रिजर्व में टाइगर (एमटी 4) की रिहाई और मुकुंदरा पहाड़ी टाइगर रिजर्व में एक नर और एक मादा का स्थानांतरण

इस चर्चा से उभरे मुख्य बिंदु इस प्रकार थे :

- सेल्जर और आसपास के क्षेत्र व्याघ्र (एमटी4) सॉफ्ट रिलीज के लिए उपयुक्त हैं
- व्याघ्र (एमटी4) की रिहाई के साथ-साथ पार्क प्रबंधन शिकार अभिवर्द्धन, ग्राम स्थान परिवर्तन और निगरानी प्रोटोकॉल को तेज करने पर एक साथ काम करेगा।
- रणथंभौर टाइगर रिजर्व से व्याघ्रों की अतिरिक्त जोड़ी (1 नर, 1 मादा) को लाया जाएगा और कम से कम एक गांव का सफलतापूर्वक स्थान परिवर्तन कर और लक्षित संख्या के आधे से अधिक शिकार छोडे जाने के बाद चरणबद्ध तरीके से सॉफ्ट रिलीज किया जाएगा।

निर्णय : मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व में व्याघ्र (एमटी 4) के रिलीज के प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु अनुशंसा की गयी।

कार्यसूची मद संख्या 5

"कान्हा टाइगर रिजर्व में व्याघ्रों की व्यापित की गहन निगरानी और अध्ययन'' परियोजना के लागत रहित विस्तार का प्रस्ताव

इस चर्चा से उभर कर आए मुख्य बिंदु इस प्रकार थे :

- व्याघ्र फैलाव गतिकी के संबंध में दीर्घकालिक निष्कर्ष निकालने के लिए परियोजना एक उपयोगी साधन है

निर्णय : "कान्हा टाइगर रिजर्व में व्याघ्रों की व्याप्ति की गहन निगरानी और अध्ययन'' परियोजना के लागत रहित विस्तार के प्रस्ताव की मंजूरी हेतु अनुशंसा की गयी।

<u>कार्यसूची मद संख्या</u> 6

एनटीसीए के लिए डेटा एकत्रीकरण साधन (एमआईएस) का विकास

इस चर्चा से उभर कर आए मुख्य बिंदु इस प्रकार थे :

- परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 2 लाख रुपये होगी
- यह प्रणाली पूरी तरह से प्रशासनिक और प्रबंधकीय उद्देश्यों अर्थात् क्षेत्र से डेटा संग्रह और मिलान में आसानी की सुविधा के लिए आवश्यक है।
- इस साधन को विकसित करने के लिए एनआईसी और एनआईसीएसआई को शामिल किया जा सकता है
- एनटीसीए के अधिकारी और क्षेत्र निदेशक इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि किस प्रकार की जानकारी जुटाई जानी है।

निर्णय : एनटीसीए के लिए डेटा एकत्रीकरण साधन (एमआईएस) के विकास के प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु अनुशंसा की गयी।

<u>कार्यसूची मद संख्या</u> 7

काजीरंगा और मानस टाइगर रिजर्व के लिए स्वैच्छिक कार्बन बाजार परियोजनाओं के विकास के संबंध में सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, असम से प्राप्त प्रस्ताव

निर्णय : काजीरंगा और मानस टाइगर रिजर्व के लिए स्वैच्छिक कार्बन बाजार परियोजना विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी हेतु अनुशंसा की गयी।

अध्याय IV : राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित समितियां

एनटीसीए की धारा 38ण (क) और (छ) के तहत एनटीसीए को संधारणीय पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलूओं का मूल्यांकन और आकलन करने और व्याघ्र रिजर्वों के अंदर खनन, उद्योग और अन्य परियोजनाओं जैसे किसी पारिस्थितिकीय असंधारणीय भूमि उपयोग अननुमत करने की शक्तियां दी गयीं हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना होता है कि टाइगर रिजर्व और एक संरक्षित क्षेत्र से जोड़ने वाला क्षेत्र या किसी संरक्षित क्षेत्र के साथ टाइगर रिजर्व या टाइगर रिजर्व को, सिवाय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी से और व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर जनहित के मामले में, पारिस्थितिकी की दृष्टि से असंधारणीय उपयोग में नहीं लाया जाता है।

तदनुसार, एनटीसीए ने वर्ष 2021-22 के दौरान एनटीसीए ने व्याघ्र प्रसार / परिक्षेपण / गलियारों के सापेक्ष विकास परियोजनाओं की स्थल समीक्षा और मूल्यांकन की कार्यवाही करने के लिए और प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, से निपटने के लिए प्रशामक उपायों की सलाह देने के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया है :-

(क) समिति गठन का प्रयोजन - **टाइगर रिजर्व के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई) के संकेतकों / मानदंडों पर फिर से विचार और आकलन करना**

1. श्री बी. के. सिंह, सेवानिवृत्त पीसीसीएफ, कर्नाटक
2. श्री बी. के. पटनायक, सेवानिवृत्त पीसीसीएफ, उत्तर प्रदेश
3. श्री वैभव सी. माथुर, क्षेत्र निदेशक, मानस टाइगर रिजर्व
4. श्री हेमंत कामदी, एआईजी (एनटीसीए), क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर
5. श्री मोहम्मद साजिद सुल्तान, एआईजी (एनटीसीए), मुख्यालय, नई दिल्ली (सदस्य संयोजक)।

(ख) समिति गठन का प्रयोजन - इस तरह के रिजर्व के प्रबंधन से जुड़े विभिन्न नीतिगत निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए टाइगर रिजर्व का दौरा करने और उन तक पहुंचने के लिए संबंधित टाइगर रिजर्व, निष्पक्ष श्रेणी के दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।

क्र. सं.	टाइगर रिजर्व का नाम	माननीय संसद सदस्य (एनटीसीए समिति)	विशेषज्ञ सदस्य (एनटीसीए समिति)	राज्य सीडब्ल्यूएलडब्ल्यु	समन्वयन / सुविधा
1	डम्पा (मिजोरम)	सुश्री दीया कुमारी	श्री पी. आर. सिन्हा पूर्व निदेशक (सेवानिवृत्त) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, मिजोरम 389-2325727	क्षेत्र निदेशक, डम्पा टाइगर रिजर्व दूरभाष : 0389-2300658
2	कामलांग (अरुणाचल प्रदेश)	श्री हर्षवर्द्धन सिंह डुंगरपुर	डॉ. तिष्यार्क्षित चटर्जी, पूर्व सचिव (सेवानिवृत्त), एमओईएफसीसी	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, अरुणाचल प्रदेश दूरभाष : 0360-2212501	क्षेत्र निदेशक, काम्लांग टीआर, दूरभाष : 03807-222221
3	नामदफा (अरुणाचल प्रदेश)	श्री राजीव प्रताप रुडी	श्री हेमेन्द्र कोठारी, अध्यक्ष, डीएसपी ब्लैक रॉक	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, अरुणाचल प्रदेश दूरभाष : 0360-2212501	क्षेत्र निदेशक, नामदफा टीआर, दूरभाष : 03807-222249
4	पलामू (झारखंड)	सुश्री दीया कुमारी	डॉ. इराच भरूचा, निदेशक, भारती विद्यापीठ, पर्यावरण शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, झारखंड दूरभाष : 0651 - 2482231	क्षेत्र निदेशक, पलामू टीआर, दूरभाष : 06562-295577
5	इंद्रावती (छत्तीसगढ़)	श्री हर्षवर्द्धन सिंह डुंगरपुर	श्री बी. के. पटनायक, भा.व.से., पीसीसीएफ एवं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, (सेवा निवृत्त), उत्तर प्रदेश	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, छत्तीसगढ़ दूरभाष : 0771 - 2512880	क्षेत्र निदेशक, इंद्रावती, टीआर दूरभाष : 07782 - 225073
6	राजाजी (उत्तराखंड)	श्री राजीव प्रताप रुडी	श्री एस. एस. श्रीवास्तव, भा.व.से. पीसीसीएफ एवं एचओएफएफ (सेवानिवृत्त), ओडिशा	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, उत्तराखंड, दूरभाष : 0135 - 2572884	क्षेत्र निदेशक, राजाजी टीआर दूरभाष : 0135 - 2620933
7	दूधवा (उत्तर प्रदेश)	सुश्री दीया कुमारी	श्री अनिश अंधेरिया (पीएचडी), वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, उत्तर प्रदेश दूरभाष: 0522 - 2206584	क्षेत्र निदेशक, दूधवा टीआर दूरभाष : 05278 - 252106

8	मुकुंदरा हिल्स (राजस्थान)	श्री हर्षवर्द्धन सिंह डुंगरपुर	श्री खगेश्वर नायक, क्षेत्र निदेशक (सेवानिवृत्त), कान्हा टाइगर रिजर्व	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, राजस्थान, दूरभाष : 0141 - 2700151	क्षेत्र निदेशक, मुकुंदरा टीआर दूरभाष : 0744 - 2502314
9	पीलीभीत (उत्तर प्रदेश)	श्री राजीव प्रताप रुडी	श्री पी. आर. सिन्हा, पूर्व निदेशक (सेवा निवृत्त), भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, उत्तर प्रदेश दूरभाष : 0522 - 2206584	क्षेत्र निदेशक, पीलीभीत टीआर दूरभाष : 05882 - 259688
10	सरिस्का (राजस्थान)	सुश्री दीया कुमारी	डॉ. तिष्यार्क्षित चटर्जी, पूर्व सचिव (सेवानिवृत्त), एमओईएफसीसी	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, राजस्थान दूरभाष : 0141 - 2700151	क्षेत्र निदेशक, सरिस्का टीआर दूरभाष - 0144 - 2701484
11	बोर (महाराष्ट्र)	श्री हर्षवर्द्धन सिंह डुंगरपुर	श्री हेमेन्द्र कोठारी, अध्यक्ष, डीएसपी ब्लैक रॉक	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, महाराष्ट्र दूरभाष्ज्ञ 0712 - 2549563	क्षेत्र निदेशक, बोर टीआर दूरभाष : 0712 - 2560727
12	रणथंभौर (राजस्थान)	श्री राजीव प्रताप रुड़ी	डॉ. इराच भरुचा, निदेशक, भारती विद्यापीठ पर्यावरण, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यु राजस्थान दू. 0141-700151	क्षेत्र निदेशक, रणथंभौर टाइगर रिजर्व दूरभाष्ज्ञ : 07462-220105

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका 8729/2021 गौरव कुमार बंसल बनाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली में लगाए गए आरोपों की सत्यता की पुष्टि करने के लिए स्थल निरीक्षण हेतु एक समिति गठित की गयी। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:

1. श्री शैलेश प्रसाद, पूर्व पीसीसीएफ यू.पी.
2. श्री आर के सिंह, (स्वतंत्र विशेषज्ञ)
3. श्री हेमंत सिंह, एआईजी एनटीसीए

(घ) रेलवे सीमा के भीतर कोमारमबीन असिफाबाद और मांचेरियाल जिला, तेलंगना में मखुदी और रेचनी रोड रेलवे स्टेशनों के बीच मौजूदा ट्रैक के साथ नई तीसरी बीजी रेलवे लाइन बिछाने के लिए कागझनगर मंडल में कवल टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले व्याघ्र कॉरिडोर में पड़ने वाली

168.43 हेक्टेयर वनभूमि के उपयोग के प्रस्ताव के संबंध में एक दल का गठन किया गया है। इस दल के सदस्य इस प्रकार हैं :

1. मुख्य वन्यजीव वार्डन, तेलंगाना के प्रतिनिधि - सदस्य
2. दक्षिण मध्य रेलवे के प्रतिनिधि - सदस्य
3. डॉ. कौशिक बनर्जी, वैज्ञानिक, व्याघ्र प्रकोष्ठ, डब्ल्यूआईआई - सदस्य
4. सुश्री हरिनी वेणुगोपाल, एआईजीएफ, एनटीसीए, क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण क्षेत्र, बेंगलुरु - सदस्य संयोजक

(ङ) संजय दुबरी टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले कटनी और सिंगरौली के बीच रेल ट्रैक के दोहरीकरण के प्रस्ताव के संबंध में एक टीम गठित की गयी है। इस टीम के सदस्य इस प्रकार हैं :

1. मुख्य वन्यजीव वार्डन, मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि - सदस्य
2. पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर मंडल के प्रतिनिधि - सदस्य
3. डॉ. कौशिक बनर्जी, वैज्ञानिक, व्याघ्र प्रकोष्ठ, एनटीसीए, नई दिल्ली- सदस्य
4. श्री हेमंत कामदी, एआईजीएफ, एनटीसीए, नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय - सदस्य संयोजक

(च) समिति का गठन - संभावित टाइगर रिजर्व के रूप में कुंभलगढ़ अभयारण्य की व्यवहार्यता मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस समिति के सदस्य इस प्रकार हैं :

i. श्री आर. एन. मेहरोत्रा, भा.व.से. (सेवानिवृत्त) - सदस्य
ii. श्री एन. के. वासु, भा.व.से. (सेवानिवृत्त) - सदस्य
iii. डॉ. कौशिक बनर्जी, पीएचडी, वैज्ञानिक, व्याघ्र प्रकोष्ठ, भारतीय वन्यजीव संस्थान - सदस्य
iv. श्री हेमंत कामदी, एआईजी, एनटीसीए, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर- सदस्य संयोजक

(छ) दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल के लिए समिति का गठन (दावानल संपरीक्षा)

दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल (दावानल संपरीक्षा) का सुझाव देने के लिए विषय की विशेषज्ञता रखने वाले वरिष्ठ वन अधिकारियों, टाइगर रिजर्व के चार फील्ड निदेशकों और एनटीसीए के अधिकारियों को शामिल कर एक समिति का गठन किया जा रहा है। उक्त समिति की संरचना इस प्रकार है :

1. श्री शैलेश प्रसाद, भा.व.से. (सेवानिवृत्त) - सदस्य
2. श्री राजीव श्रीवास्तव, भा.व.से. (सेवानिवृत्त) - सदस्य
3. क्षेत्र निदेशक, सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व, ओडिशा - सदस्य

4. क्षेत्र निदेशक, दुधवा टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश - सदस्य
5. क्षेत्र निदेशक, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक - सदस्य
6. क्षेत्र निदेशक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश - सदस्य
7. उप वन महानिरीक्षक, एनटीसीए - सदस्य संयोजक

अध्याय V : प्रशासनिक मामले

सदस्य सचिव को अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की अवस्थापना में 13 नियमित / 34 संविदा आधारित प्रशासनिक कार्मिक हैं। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की कार्यालय अवस्थापना से संबंधित पदों और पदधारियों (2020-21) का ब्यौरा इस प्रकार है:

एनटीसीए मुख्यालय में एनटीसीए अधिकारियों और कर्मचारियों (स्थायी आधार पर) का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	पदधारी का नाम	पे लेवल / वेतन (रु.)
मुख्यालय			
1.	सदस्य सचिव	डॉ. एस. पी. यादव	लेवल 16 (205400-224400)
2.	वन महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	डॉ. अमित मल्लिक	लेवल 14 (144200-218200)
3.	उप महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	श्री राजेंद्र जी गारवाड	लेवल 14 (144200-218200)
4.	उप महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	श्री शिवपाल सिंह	लेवल 14 (144200-218200)
5.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए- मुख्यालय)	मो. साजिद सुल्तान	लेवल 12 (78800-209200)
6.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए- मुख्यालय)	श्री हेमंत सिंह	लेवल 12 (78800-209200)
7.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए- मुख्यालय)	रिक्त	
8.	उप निदेशक (वित्त) (एनटीसीए - मुख्यालय)	श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल	लेवल - 11 (56100-177500)
9.	निजी सचिव	रिक्त	
10.	अनुभाग अधिकारी	रिक्त	
11.	सहायक	रिक्त	
12.	स्टाफ कार चालक	रिक्त	
13.	बहु कार्य कर्मचारी (एमटीएस)	श्री मदन सिंह	लेवल 4 (25500 - 81100)
14.	बहु कार्य कर्मचारी (एमटीएस)	श्री सुरेश पंडित	लेवल 4 (25500 - 81100)

एनटीसीए क्षेत्रीय कार्यालयों के एनटीसीए अधिकारियों (स्थायी आधार पर) के विवरण

	क्षेत्रीय कार्यालय (गुवाहाटी)		
15.	वन महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	श्री डब्ल्यू. लौंग्वा	लेवल 14 (144200-218200)
16.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	रिक्त	
	क्षेत्रीय कार्यालय (नागपुर)		
17.	वन महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर	रिक्त	
18.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर	श्री हेमंत कामदी भास्कर	लेवल 12 (78800 - 209200)
	क्षेत्रीय कार्यालय (बैंगलोर)		
19.	वन महानिरीक्षक (एनटीसीए) बंगलौर	श्री एन एस मुरली	लेवल 14 (144200-218200)
20.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर	सुश्री हरिनि वेनुगोपाल	लेवल 12 (78800 - 209200)

मुख्यालय के एनटीसीए कर्मचारियों (आउटसोर्स के आधार पर) के विवरण

क्र.सं.	पद	पदधारी का नाम	वेतन
एनटीसीए मुख्यालय, नई दिल्ली			
1.	लेखाकार	कुशाल भंडारी	रुपये 39,278 / -
2.	डाटा विश्लेषक	कुंदन कुमार	रुपये 39,150 / -
3.	डाटा इंट्री संचालक	शीतल बिष्ट	रुपये 39,555 / -
4.	डाटा एंट्री सहायक	ख़ुशी राम	रुपये 23,272 / -
5.	डाटा एंट्री सहायक	धीरेंद्र कुमार पांडे	रुपये 22,909 / -
6.	डाटा एंट्री सहायक	आरती	रुपये 22,909 / -
7.	डाटा एंट्री सहायक	राहुल भंडारी	रुपये 22,909 / -
8.	डाटा एंट्री सहायक	मोनिका	रुपये 22,909 / -
9.	डाटा एंट्री सहायक	अंकित कुमार	रुपये 22,909 / -
10.	डाटा एंट्री सहायक	अलिशा	रुपये 19,594 / -
11.	कार्यालय सहायक	लक्ष्मण सिंह	रुपये 32,870 / -
12.	कार्यालय सहायक	मुकेश कुमार	रुपये 32,870 / -
13.	डिस्पैचर	राधा	रुपये 32,870 / -
14.	ड्राइवर	मो. अकबर	रुपये 24,897 / -
15.	ड्राइवर	सिया राम	रुपये 22,900 / -
16.	संदेशवाहक	शिव सिंह	रुपये 23,743 / -
17.	ऑफिस ब्वॉय	दीपक सिंह	रुपये 21,754 / -
18	सफाई कर्मचारी	राहुल	रुपये 18,626 / -
19	व. अनुसंधान फेलो	शिप्रा सक्सेना	रुपये 44,450 / -
20	व. अनुसंधान फेलो	परिधि जैन	रुपये 44,450 / -
एनटीसीए, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी			
21	वन्यजीव जीव विज्ञानी	अगथा सी मोमिन	रुपये 32,269 / -
22	लेखापाल	दूरदर्शनी	रुपये 26,251 / -
23	डाटा एंट्री सहायक	जीतूमणि महंता	रुपये 19,594 / -
24	चपरासी	अमर दोर्जी	रुपये 16,961 / -
25	चौकीदार	माइकल कुमार राभा	रुपये 17,006 / -
एनटीसीए, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर			
26.	डाटा एंट्री सहायक	कृनाल रमेश	रुपये 20,362 / -
27.	चपरासी	योगेश जी. सकरडे	रुपये 16,961 / -
28.	चौकीदार	राहुल खडसे	रुपये 17,006 / -

29.	चौकीदार	धीरज श्रवण राउत	रुपये 17,006 / -
30.	वन्यजीव जीवविज्ञानी ग्रेड 1	अनिल कुमार दशहरे	रुपये 41,392 / -
एनटीसीए, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु			
31.	डाटा एंट्री सहायक	एम आर राधा	रुपये 20,362 / -
32.	चौकीदार	संतोष कुमार बोड्के	रुपये 16,961 / -
33.	बहु कार्य कर्मचारी (एमटीएस)	विनय बी एच	रुपये 17,006 / -
34.	चपरासी	सुनील बोरदोलोइ	रुपये 16,961 / -

व्याघ्र संरक्षण के लिए उल्लेखनीय पहलें

व्याघ्र और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण और प्रतिरक्षण के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उल्लेखनीय पहलें की गयीं

विधिक कदम

1. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के खण्ड 38 IV ख के तहत राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण और खण्ड 38 IV ग के तहत व्याघ्र और अन्य विलुप्त होती प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन करने हेतु समर्थकारी प्रावधान शामिल करने के लिए वर्ष 2006 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया।

2. धारा खंड 51 (1ग) जोड़कर, किसी टाइगर रिजर्व के मूल क्षेत्र में किए गए अपराध अथवा टाइगर रिजर्व में आखेट करने से संबंधित अपराध अथवा टाइगर रिजर्व की सीमाओं में परिवर्तन करने इत्यादि से संबंधित अपराध में दिए जाने वाले दण्ड में वृद्धि की गई है। ऐसे अपराधों के दुष्प्रेरण उसी सजा से दंडनीय होंगे जो सजा अपराधी के लिए है {धारा 51(घ)}

3. 15 अक्तूबर, 2012 को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ण 1(ग) के तहत टाइगर रिजर्व एवं टाइगर रिजर्वों में पर्यटन संबंधी व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए।

<u>प्रशासनिक कदम</u>

1. अन्य बातों के साथ-साथ टाइगर रिजर्व प्रबंधन में निर्देशात्मक मानकों को सुनिश्चित करके, आरक्षित क्षेत्र विनिर्दिष्ट व्याघ्र संरक्षण योजना तैयार कर, संसद को वार्षिक/लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन कर और व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना कर व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए दिनांक 4 सितम्बर, 2006 को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) का गठन किया गया।

2. वन्य जीवों के अवैध व्यापार को कारगर ढंग से रोकने के लिए 6 जून, 2007 को बहु -विषयक व्याघ्र और अन्य लुप्तप्राय प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया गया।

3. संचार और बेतार सुविधाओं को सुदृढ़ करने के अलावा स्थानीय जनता को शामिल करके कार्यबल गठित करने, टाइगर रिजर्व वाले राज्यों की ओर से पूर्व-सैनिक कार्मिकों अथवा होमगार्ड्स को शामिल करके व्याघ्र आखेट रोधी दस्ते को तैनात करने के लिए यथा-प्रस्तावित वित्तीय सहायता प्रदान करके मानसून के मौसम में गश्त की विशेष कार्यनीति सहित व्याघ्र आखेट रोधी कार्यकलापों को सुदृढ़ किया गया है।

4. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने सैद्धांतिक रूप से नए टाइगर रिजर्वों के लिए अनुमोदन प्रदान किया है, और ये स्थान हैं: रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य (मध्य प्रदेश), दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य (अरुणाचल प्रदेश) और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य (बिहार) है। सुनाबेदा वन्य जीव अभ्यारण्य (ओडिशा), एमएम हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य (कर्नाटक), रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य (राजस्थान) और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तैमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य (छत्तीसगढ़) को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषणा करने हेतु अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी गयी है।

5. श्रीविल्लिपुथुर मेगामलई टाइगर रिजर्व को 51वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है।

6. व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को संशोधित टाइगर रिजर्व दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ चालू कार्यकलापों के अतिरिक्त टाइगर रिजर्व के मुख्य अथवा नाजुक व्याघ्र पर्यावास में रहने वाले व्यक्तियों के लिए बढ़ा हुआ ग्राम पुनर्स्थापन या पुनर्वास पैकेज (10 लाख रूपए प्रति परिवार से लेकर 15 लाख रूपए प्रति परिवार तक) के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता, परम्परागत आखेट में संलिप्त समुदायों का पुनर्वास अथवा पुनर्स्थापना, टाइगर रिजर्व के बाहर मुख्य धारा में जीवन-यापन और वन्यजीव सरोकार और प्राकृत्वास विखण्डन को रोकने के लिए पुन: बहाली कार्यनीति के माध्यम से कोरिडोर संरक्षण का पोषण करना शामिल है।

7. वर्ष 2006 में यथा-संशोधित, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के खण्ड 38फ के तहत 18 व्याघ्र राज्यों ने देश के सभी 51 टाइगर रिजर्वों के मूल / नाजुक व्याघ्र प्राकृत्वास (40,541 वर्ग कि.मी.) और बफर / उपांत क्षेत्र (32,682 वर्ग कि.मी.) को अधिसूचित कर दिया है।

8. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर, बेंगलुरु और गुवाहाटी में कार्यरत हैं, जिनके प्रमुख वन महानिरीक्षक हैं।

वित्तीय कदम

1. एनटीसीए व्याघ्रों और वन्य जीवों एवं उनके पर्यावसों के प्रभावी संरक्षण की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों को उनकी क्षमता और अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए **"टाइगर रिजर्व"** और **"एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास**" जैसी विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। जो गतिविधियां समर्थित और सहायता प्राप्त हैं, उनमें अवसंरचना सुदृढीकरण, पर्यावास सुधार, मानव वन्य जीव संघर्ष

निदान, कर्मचारी विकास जिसमें प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शामिल हैं, आवास व्यवस्था, टाइग रिजर्वों के आस-पास रहने वाले लोगों की आजीविका व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक उन्नयन पर केंद्रित आकर्षक पैकेज के माध्यम से स्वैच्छिक ग्राम स्थान परिवर्तन, संचार और जागरूकता सृजन में सुधार शामिल हैं।

2. एनटीसीए ने व्याघ्र प्रकोष्ठ स्थापित किया है और अखिल भारतीय व्याघ्र आकलन कवायद सुगम करने के लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान के संचालन में सहायता कर रहा है। यह कवायद देश में बाघ प्रबंधन के पथ को समय-समय पर ठीक करने और बड़े पैमाने पर जनता के साथ जुड़ने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है।

3. एनटीसीए व्याघ्र और इसकी पारिस्थितिकी से संबंधित शोध करने और वैज्ञानिक प्रकाशनों हेतु निधियन सहायता प्रदान कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1. **भारत में चीता स्थापन** : भारत सरकार ने चीता को बसाने का फैसला किया है, जो एकमात्र बड़ी मांसाहारी प्रजाति है जो स्वतंत्र भारत में विलुप्त हो गई थी। नामीबिया से अगले 5 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष चीतों को लाने का प्रस्ताव है। प्रोजेक्ट चीता स्थापन के हिस्से के रूप में डॉ. अमित मलिक, आईजी, एनटीसीए, एमओईएफ और सीसी, श्री जसबीर सिंह चौहान, मुख्य वन्यजीव वार्डन, मध्य प्रदेश, श्री अशोक बरनवाल, प्रमुख सचिव, वन और वन्यजीव, मध्य प्रदेश, डॉ. वाई. वी. झाला, वन्यजीव विज्ञान संकाय, भारतीय वन्यजीव संस्थान और श्री राकेश जगेनिया, उप महानिरीक्षक (वन्यजीव), एमओईएफ और सीसी ने नामीबिया से चीता को लाने के तौर-तरीकों के संबंध में द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए 18 से 22 फरवरी 2022 तक नामीबिया का दौरा किया।

   मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान को इस परियोजना के लिए पहली साइट के रूप में पहचान की गयी है। प्रोजेक्ट चीता पहल को आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण परामर्शी जी2जी बैठकें और समझौता ज्ञापन के माध्यम से सहलग्नता के दायरे का पता लगाया जाएगा। नामीबिया की यात्रा और संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत के परिणाम सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित होंगे और परियोजना चीता के तहत एक महा प्रजाति के अंतरमहाद्वीपीय पुनर्वास शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

2. **व्याघ्र संरक्षण पर चतुर्थ एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एएमसी)** : व्याघ्र संरक्षण पर चतुर्थ एएमसी 19 जनवरी से 21 जनवरी 2022 तक मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था और व्याघ्र रेंज देशों के मंत्रियों और अधिकारियों ने इसमें भाग लिया था। ग्लोबल टाइगर फोरम के सहयोग से ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के माध्यम से मलेशिया द्वारा आयोजित सम्मेलन में दुनिया भर से 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इसका उद्देश्य व्याघ्र संरक्षण पर कुआलालंपुर संयुक्त वक्तव्य पर चर्चा करना और उसे अंतिम रूप देना है, जो टाइगर रेंज के देशों से सबक और चुनौतियों के साथ एक कार्रवाई उन्मुख दस्तावेज है। इस सम्मेलन में **दक्षिण पूर्व एशिया व्याघ्र पुन:प्राप्ति कार्य योजना (स्ट्रैप)** के समर्थन के साथ-साथ संसाधन जुटाने, अंतराल और व्याघ्र संरक्षण कार्यक्रम की रणनीति पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

3. **सीआईटीईएस - सीआईटीईएस स्थायी समिति** की 74वीं बैठक (**एससी 74**) : सीआईटीईएस स्थायी समिति की 74वीं बैठक (एससी 74) 7 से 11 मार्च 2022 तक फ्रांस के ल्योंन में आयोजित की गई थी। एससी 74 में भारत का प्रतिनिधित्व एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा किया गया था जिसमें निम्नलिखित शामिल थे :

- डॉ. एस. पी. यादव, अपर वन महानिदेशक (राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण);
- सुश्री तिलोत्तमा वर्मा, अपर निदेशक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो; तथा
- श्री राकेश कुमार जगेनिया, उप वन महानिरीक्षक (वन्यजीव), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।

बैठक की कार्यसूची में भारत के लिए महत्व के कई मदें शामिल थी, और सभी प्रासंगिक दस्तावेजों पर प्रतिनिधिमंडल द्वारा हस्तक्षेप किया गया था।

एशियन बिग कैट्स (एससी74 दस्ता. 36) के संदर्भ में, भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एशियाई बड़ी बिल्लियों से संबंधित भारत द्वारा प्रस्तावित कई सीआईटीईएस निर्णय सीआईटीईएस सीओपी 18 में अंगीकृत किए गए थे, का क्रियान्वयन किया जाना शेष है। इनमें निर्णय 14.69 शामिल है, जो आग्रह करता है कि व्याघ्रों को उनके उनके अंगों और संजात में व्यापार के लिए पैदा नहीं किया जाना चाहिए, और निर्णय 108 जो सचिवालय को उन पक्षकारों के लिए एक मिशन शुरू करने का निर्देश देता है जिनके क्षेत्रों में एशियाई बड़ी बिल्लियों को व्यापार की दृष्टि से बंदी बनाकर रखने की सुविधाएं हो सकती हैं। इस बैठक में, भारत ने एशियाई बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में अपनी सफलता पर प्रकाश डाला, और एशियाई बड़ी बिल्लियों से संबंधित निर्णयों के कार्यान्वयन की कमी पर चिंता व्यक्त की। भारत ने सीआईटीईएस सीओपी 19 में एशियाई बड़ी बिल्लियों से संबंधित अप्रभावित निर्णयों के नवीकरण का प्रस्ताव पारित करने हेतु सचिवालय से अनुरोध करने संबंधी एक सिफारिश को अपनाने का आग्रह किया। स्थायी समिति ने भारत के सुझाव को स्वीकार कर लिया।

गैंडे के संदर्भ में (एससी 74 दस्ता. 37) : भारत ने देश में किए गए गैंडा संरक्षण गतिविधियों संबंधी एक अद्यतन प्रस्तुत किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि सुरक्षा, प्रवर्तन और सामुदायिक आउटरीच उपायों के कारण भारत में गैंडों के अवैध शिकार में काफी कमी आई है। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि गैंडों के सिंगों की मांग भारतीय गैंडों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है, और स्थायी समिति से सीओपी 19 पर निर्णय 18.116 के नवीकरण

का प्रस्ताव पारित करने का अनुरोध किया, जो पक्षकारों को ऐसे कार्यक्रम विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो गैंडे सिंगों की मांग में कमी लाता हो, जहां इस तरह के अवैध बाजार हैं। स्थायी समिति ने भारत के सुझाव को स्वीकार कर लिया।

भारत ने बताया कि शिकारियों और अवैध व्यापारियों को ऐसे व्यापार नहीं करने के लिए आगाह करने के एक संकेत के रूप में, असम राज्य ने वर्ष 2021 में विश्व गैंडा दिवस पर लगभग 2500 गैंडा सिंगों के भंडार को नष्ट कर दिया।

भारत ने स्थायी समिति को यह भी बताया कि भारत सरकार ने गैंडों के शवों के निपटान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और साथ ही एक सींग वाले भारतीय गैंडों की आबादी गणना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

भारत ने इस बात पर जोर दिया कि गैंडों की आबादी को अवैध शिकार से बचाने के लिए लक्षित मांग में कमी के कार्यक्रम आवश्यक हैं और स्थायी समिति से यह सिफारिश करने के लिए कहा कि सीओपी 19 पर निर्णय 18.116 को नवीकृत किया जाए और संबंधित पक्षकारों के लिए कार्यान्वयन संबंधी समयबद्ध रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए संशोधित किया जाए।

4. कंबोडिया में व्याघ्रों की पुन:प्राप्ति की पहल पर क्षमता निर्माण की जरूरतों और तकनीकी सहयोग के संबंध में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की कंबोडिया यात्रा: कंबोडिया ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम (जीटीआरपी) का सदस्य है और कंबोडिया की रॉयल सरकार ने सक्रिय पुन:स्थापन के माध्यम से व्याघ्रों की पुन:प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्याघ्र पुनर्प्राप्ति परिदृश्य के रूप में इलायची वर्षावन परिदृश्य की पहचान की। इस संदर्भ में, कंबोडिया की शाही सरकार ने जमीनी स्तर की तैयारी का आकलन करने के लिए और क्षमता निर्माण की आवश्यकता के मूल्यांकन अध्ययन के लिए इलायची वर्षावन परिदृश्य के क्षेत्र का दौरा करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ / विशेषज्ञ टीम की पहचान करने में भारत सरकार की सहायता का अनुरोध किया। कंबोडिया की शाही सरकार को उनके व्याघ्र स्थापन प्रयासों में सहायता के लिए, एनटीसीए के अधिकारियों और विशेषज्ञों सहित निम्नलिखित प्रतिनिधिमंडल ने कंबोडिया का दौरा किया :

- डॉ. एस. पी. यादव, अपर महानिदेशक (परियोजना व्याघ्र) और सदस्य सचिव, रा.व्या.सं.प्रा.
- श्री हेमंत सिंह, सहायक वन महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण
- डॉ. के. रमेश, वैज्ञानिक ई, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून

अन्य विविध कदम

1. सीए।टीएस प्रत्यायन : संरक्षण आश्वासन | व्याघ्र मानक (सीए | टीएस) को टाइगर रेंज देशों (टीआरसी) के वैश्विक गठबंधन द्वारा एक प्रत्यायन साधन के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे व्याघ्र और संरक्षित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। आधिकारिक तौर पर वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया, यह लक्षित प्रजातियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है और प्रासंगिक संरक्षण क्षेत्रों में इन मानकों के मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है। सीए | टीएस मानदंड का एक समुच्चय है जो व्याघ्र स्थलों को यह जांचने की अनुमति देता है कि क्या उनके प्रबंधन से व्याघ्रों का सफल संरक्षण होगा। सीए | टीएस महत्वपूर्ण प्रबंधन गतिविधि के 7 स्तंभों और 17 अवयवों के तहत आयोजित किया जाता है।

भारत में, सीए | टीएस का कार्यान्वयन एनटीसीए द्वारा ग्लोबल टाइगर फोरम (जीटीएफ) के सहयोग से वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। सीए | टीएस अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से मिलकर) ने 14 टाइगर रिजर्वों के सीए | टीएस प्रत्यायन हेतु मंजूरी दे दी है। भारत में रिजर्व ये हैं मानस, काजीरंगा, ओरंग, सतपुड़ा, पेंच, कान्हा, पन्ना, वाल्मीकि, दुधवा, परम्बिकुलम, मुदुमलाई, बांदीपुर, अनामलाई और सुंदरवन।

3. **अखिल भारतीय व्याघ्र अनुमान 2022** : भारत वर्ष 2006 से प्रत्येक 4 वर्ष में एनटीसीए के अखिल भारतीय व्याघ्र अनुमान (एआईटीई) के माध्यम से अपनी व्याघ्रों की आबादी का जायजा लेता रहा है। यह कवायद भारत के व्याघ्र रेंज राज्यों में व्याघ्रों के आवास का मूल्यांकन करने के लिए अत्याधुनिक विज्ञान और सर्वोत्तम तकनीक का उपयोग करता है। एआईटीई के कुल 4 चक्र पूरे हो चुके हैं और 5वां चक्र अभी चल रहा है। एनटीसीए ने डब्ल्यूआईआई के विशेषज्ञों के साथ मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक कार्यशाला आयोजित की है। ये मास्टर प्रशिक्षक संबंधित क्षेत्रों के अन्य वन कर्मियों को एआईटीई 2022 (5वां चक्र) के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। पांचवां चक्र पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित होगा। आकलन एम-स्ट्राइप्स (मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स-इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस) ऐप की मदद से किया जाएगा जो फोटो साक्ष्य और सर्वेक्षण की जानकारी को जियो-टैग करने के लिए जीपीएस का उपयोग करता है। एआईटीई 2018-19 (चौथा चक्र) एक बड़ी सफलता थी और इससे व्याघ्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई। भारत में व्याघ्रों की अनुमानित कुल आबादी 2,967 (एसई रेंज 2,603 से 3,346) था।

4. टाइगर रिजर्व का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई): टाइगर रिजर्व के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई) संबंधी एक रिपोर्ट जुलाई, 2019 में जारी की गई थी, जिसमें 50 टाइगर रिजर्वों के लिए वर्ष 2018 में किए गए परिष्कृत मानदंडों के आधार पर स्वतंत्र

मूल्यांकन का चौथा दौर शामिल था। 50 व्याघ्र अभयारण्यों में से 21 को 'बहुत अच्छा', 17 को 'अच्छा' और 12 को 'संतोषजनक' का दर्जा दिया गया।

प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई) मानदंड की समीक्षा करने के लिए, एनटीसीए ने डॉ. अमित मलिक, वन महानिरीक्षक, एनटीसीए मुख्यालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

- श्री बी. के. सिंह, सेवानिवृत्त पीसीसीएफ, कर्नाटक,
- श्री बी. के. पटनायक, सेवानिवृत्त पीसीसीएफ, उत्तर प्रदेश,
- श्री. वैभव सी. माथुर, क्षेत्र निदेशक, मानस टाइगर रिजर्व,
- श्री हेमंत कामदी, एआईजी (एनटीसीए), क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर और
- श्री मो. साजिद सुल्तान, एआईजी (एनटीसीए), मुख्यालय, नई दिल्ली (सदस्य संयोजक)।

समिति ने देश के विविध व्याघ्र अभयारण्यों के विश्लेषण में समानता लाने और आगामी वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले आकलनों के संबंध में मूल्यांकनकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए एमईई अभ्यास के 5वें चक्र के मानदंडों पर फिर से विचार किया है।

5. व्याघ्र अभयारण्यों के लिए एम-स्ट्रिप्स : एम-स्ट्रिप्स (व्याघ्रों के लिए निगरानी प्रणाली : गहन संरक्षण और पारिस्थितिक प्रस्थिति) को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था। इसे सभी संरक्षित क्षेत्रों (पीए) में शुरू किया गया था। एम-स्ट्रिप्स एक मोबाइल एप्लिकेशन है जिसे वन्यजीव संरक्षण और निगरानी और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह गश्ती मार्गों की मैपिंग और गश्ती पटरियों के एक स्थानिक डेटाबेस को बनाए रखने में जीपीएस तकनीक का उपयोग करता है। गश्ती मानचित्र, गार्ड द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों के साथ, पीए प्रबंधन को भविष्य के सुरक्षा प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए रुझानों और पैटर्न का विश्लेषण करने में मदद कर सकते हैं। यह गश्त के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देने हेतु प्रबंधन को महत्वपूर्ण डेटा भी प्रदान करता है। यह उन्हें पर्यावास पर जैविक दबाव को समझने में भी मदद करता है। एम-स्ट्रिप्स न केवल वन्यजीव अपराध जांच को मजबूत करता है बल्कि सभी फ्रंटलाइन कर्मचारियों के बीच वन्यजीव संरक्षण के लिए उपलब्धि और साझा जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है। पिछले दशक में उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया के आधार पर इसमें नियमित रूप से सुधार किया गया है।

6. टाइगर रिजर्व के जल स्रोत एटलस का विमोचन : टाइगर रिजर्व प्राकृतिक वन और जंगल क्षेत्रों के संरक्षण के प्रभावी साधन हैं। ये भंडार न केवल जल सुरक्षा को विनियमित करने और सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि प्राकृतिक जल शोधन प्रणालियों के लिए

एक तंत्र प्रदान करते हैं और वाटरशेड कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। टाइगर रिजर्व द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं में से, प्राकृतिक जल निकायों के माध्यम से जल सुरक्षा जीवन को बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण हैं।

स्वतंत्र रूप से उपलब्ध सुदूर संवेदीकरण डेटा और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग का उपयोग करते हुए, एनटीसीए ने भारत के व्याघ्र प्रवण क्षेत्रों में जल निकायों की मैपिंग की है। जल एटलस में भू-दृश्यवार जानकारी को रेखांकित किया गया है जिसमें - शिवालिक पहाड़ियाँ और गंगा का मैदानी भू-दृश्श, मध्य भारतीय परिदृश्य और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट परिदृश्य, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ और ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान और सुंदरबन शामिल हैं। एटलस वन प्रबंधकों को संबंधित टाइगर रिजर्व में सभी मौसमी और बारहमासी जल स्रोतों के संक्षिप्त दृष्टिकोण के आधार पर उनकी संरक्षण रणनीतियों की कल्पना करने के लिए आधारभूत जानकारी प्रदान करता है।

टाइगर रिजर्वों का जल स्रोत एटलस

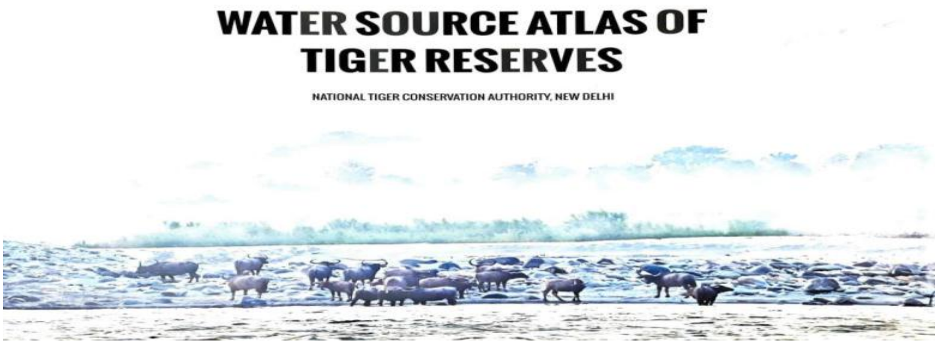

7. आजादी का अमृत महोत्सव : 15 अगस्त 2022 को भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, भारत सरकार ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने की योजना बनाई है, जो एक गहन, देशव्यापी अभियान है, जो नागरिकों की भागीदारी पर केंद्रित होगा, 'जनंदोलन' में परिवर्तित होने के लिए, जहां स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे परिवर्तन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लाभ में वृद्धि करेंगे। इस स्मारकीय अवसर को मनाने के लिए, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए), पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने निम्नलिखित गतिविधियां निष्पादित करने की योजना बनाई है: -

इंडिया फॉर टाइगर्स ए रैली ऑन व्हील्स : रैली का एक गुणक प्रभाव था और इसने 51 टाइगर रिजर्व, 18 टाइगर रेंज राज्यों में यात्रा की, 7 दिनों में 7500 किमी से अधिक की दूरी तय की और 75000 से अधिक लोगों को पूरे भारत में कई व्याघ्र परिदृश्य में शामिल किया। पलामू, सुंदरबन, सिमिलिपाल, कॉर्बेट, मानस, बांदीपुर, मेलघाट, कान्हा और रणथंभौर में महा उत्सव आयोजित किए गए, जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना के दौरान नामित हमारे देश के शुरुआती नौ टाइगर रिजर्व को निरूपित करते थे। ये नौ टाइगर रिजर्व हमारे महा उत्सव के केंद्र बिंदु थे।

इंडिया फॉर टाइगर्स - बांदीपुर टाइगर रिजर्व में रैली ऑन व्हिल्स

टाइगर रिजर्व में समकालिक अखिल भारत संरक्षण गश्त : 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तत्वावधान में 51 टाइगर रिजर्व में 75,000 किलोमीटर के एक समकालिक अखिल भारत संरक्षण गश्त की योजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य वन्यजीवों के संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र संरचना को एकजुट करना है। देशभर के 18 टाइगर रेंज राज्यों में पैदल गश्त जारी है। 34551 वन सीमावर्ती बल की भागीदारी के साथ अब तक ~ 218123 किमी की कुल दूरी को कवर किया गया है।

अमराबाद टाइगर रिजर्व में समकालिक अखिल भारत संरक्षण गश्त

व्याघ्र संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता और आउटरीच गतिविधियां : एनटीसीए ने 75 सप्ताह की अवधि में विभिन्न जागरूकता और आउटरीच गतिविधियों में भाग लेने के लिए कुल 750 स्कूलों / कॉलेजों / विश्वविद्यालयों को व्याघ्र अभयारण्यों से जोड़ने की योजना बनाई है। 51 टाइगर रिजर्व ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए नुक्कड़ नाटक, वाद-विवाद, पेंटिंग / ड्राइंग प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, वृत्तचित्र / फिल्म शो, वृक्षारोपण अभियान और वेबिनार जैसी गतिविधियों का आयोजन किया है। इनके अलावा, बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने और पर्यावरण, वनों और जलवायु परिवर्तन से संबंधित विविध विषयों पर युवा पीढ़ी को संवेदनशील बनाने के लिए रैलियों और व्याघ्र अभयारण्यों के दौरे भी आयोजित किए गए हैं। व्याघ्र रेंज के 18 राज्यों में अब तक कुल 9895 छात्रों को संवेदनशील बनाया जा चुका है।

पेंच टाइगर रिजर्व - स्कूली छात्र आउटरिच गतिविधियों में प्रतिभागिता करते हुए

8. सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान में सम्मेलन : यह सम्मेलन 3 फरवरी 2022 को "राजस्थान राज्य में व्याघ्र पुन:स्थापन और व्याघ्र स्थानांतरण और रेडियो कॉलरिंग रणनीतियों के बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व की वर्तमान प्रस्थिति की मध्यावधि समीक्षा" विषय पर आयोजित किया गया था। सम्मेलन की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा और विचार-विमर्श शामिल थे : -

(i) पुन:स्थापन के उपरांत टाइगर रिजर्व प्रबंधन और संबंधित गतिशीलता की स्थिति

(ii) व्याघ्र स्थानांतरण गतिकी, इसका निहितार्थ और राजस्थान के संदर्भ में प्रक्रिया

(iii) रेडियो कॉलरिंग रणनीति - वर्तमान संदर्भ में विस्तार और उद्देश्य

(iv) बाघिन रेडियो कॉलरिंग की मौजूदा प्रस्थिति।

9. व्याघ्र और शिकार के पुन:स्थापन की वर्तमान स्थिति और अनुभव। पन्ना और सरिस्का में व्याघ्रों की स्थिति और शाकाहारियों के पुनर्वास को उभारना ।

10. व्याघ्र संरक्षण पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निधि प्रवाह से जुड़े व्याघ्र राज्यों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) को क्रियान्वित करना।

11. **मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)** : पीए के कई वन क्षेत्रों में व्याघ्रों की आबादी का समर्थन करने के लिए उपयुक्त पर्यावास हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ व्याघ्रों की आबादी नहीं हो सकती है। ऐसे क्षेत्रों में व्याघ्रों के पुन:स्थापन से संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए एक एसओपी तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई है। आग से बचाव की तैयारी का आकलन करने और इसका मानकीकरण करने की भी आवश्यकता महसूस की गई है ताकि आकलन में वस्तुनिष्ठता लाया जा सके और इसके परिणामस्वरूप योजना तैयार की जा सके। तदनुसार, एनटीसीए ऐसी गतिविधियों के संचालन और प्रबंधन और उनका पालन करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर रहा है।

12. अलग-अलग व्याघ्रों के कैमरा ट्रैप फोटो आईडी का एक राष्ट्रीय आधान बनाया गया है। इसे नियमित आधार पर अद्यतन किया जा रहा है।

13. भटके हुए व्याघ्रों से निपटने के लिए फील्ड अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए फील्ड स्तरीय कार्यशालाएं।

14. भारतीय वन सर्वेक्षण के सहयोग से किए गए शिवालिक गंगा के मैदानी परिदृश्य के व्याघ्र अभयारण्यों में और आसपास के वन आवरण में स्थिति, घनत्व और परिवर्तन का आकलन।

टाइगर रिजर्वों की सुरक्षा संपरीक्षा

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (वर्ष 2006 में यथा संशोधित) के अनुसार, भारत में प्रत्येक टीआर से एक व्याघ्र संरक्षण योजना तैयार करना अपेक्षित होती है, जिसमें "संरक्षण" एक प्रमुख घटक होता है। एनटीसीए ने आरक्षित क्षेत्र विशिष्ट सुरक्षा योजनाओं (एसपी) के लिए सामान्य दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जो टीसीपी के भाग हैं। एनटीसीए की सुरक्षा योजना प्रोटोकॉल दो टाइगर रिजर्वों, अर्थात् मध्य प्रदेश में - कान्हा और ओडिशा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व में जीटीएफ दल द्वारा किए गए प्रोटोकॉल सत्यापन प्रक्रिया पर आधारित हैं।

सुरक्षा संपरीक्षा मूलत: विभिन्न खतरों/आशंकाओं का हल निकालने के लिए किसी क्षेत्र संरचना की तैयारी का आकलन करने का कार्य है। सुरक्षा संपरीक्षा का कार्य पिछले वित्तीय वर्ष (2018-19) में शुरू किया गया और इसमें निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया :

1. टाइगर रिजर्वों की सुरक्षा संपरीक्षा हेतु दलों का गठन और प्रशिक्षण।
2. क्षेत्र निदेशकों द्वारा टाइगर रिजर्वों के लिए सुरक्षा संपरीक्षा नोडल बिन्दु का निर्धारण, सुरक्षा संपरीक्षा दल सुरक्षा संपरीक्षा योजना पर नोडल बिन्दु से कार्य करते हैं।
3. टाइगर रिजर्व में परामर्श कार्यशाला जिसमें अधिकतम संभव संख्या में कर्मचारी प्रतिभागिता करते हैं। इस कार्यशाला के लिए अपेक्षित प्रतिभागियों में क्षेत्र निदेशक, मंडल वन अधिकारी / उप-निदेश, सहायक वन संरक्षक / रेंज अधिकारी, उप-रेंज अधिकारी, और वन प्रहरी शामिल हैं।
4. आखेट रोधी शिविरों / रेंज अधिकारियों / चेक पोस्ट का सत्यापन (कम से कम 50 प्रतिशत)। टाइगर रिजर्व की क्षेत्र संपरीक्षा में 2 से 5 दिन लगेंगे और उसके बाद समर्थनकारी अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा।
5. टाइगर रिजर्व की सुरक्षा संपरीक्षा का परितुलन / अंतिम रूप दिया जाना।

ऊपर उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, निम्नलिखित टाइगर रिजर्वों की सुरक्षा संपरीक्षा संपन्न की गयी है :

I. काजीरंगा टाइगर रिजर्व
II. मानस टाइगर रिजर्व
III. ओरंग टाइगर रिजर्व
IV. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व
V. बांदीपुर टाइगर रिजर्व
VI. बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व
VII. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
VIII. पन्ना टाइगर रिजर्व
IX. पेंच टाइगर रिजर्व
X. संजय-डुबरी टाइगर रिजर्व
XI. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
XII. मेलघाट टाइगर रिजर्व
XIII. नवेगांव-नागजिरा टाइगर रिजर्व
XIV. पेंच टाइगर रिजर्व
XV. तडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व
XVI. सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व
XVII. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व
XVIII. रणथंभौर टाइगर रिजर्व
XIX. सरिस्का टाइगर रिजर्व
XX. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व
XXI. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व

XXII. राजाजी टाइगर रिजर्व
XXIII. दुधवा टाइगर रिजर्व
XXIV. पीलीभीत टाइगर रिजर्व
XXV. सुंदरवन टाइगर रिजर्व

वर्ष के दौरान आयोजित अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

क्र.सं.	कार्यक्रम	स्थान एवं तिथि
1.	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति की 10वीं बैठक	एनटीसीए (वीसी के माध्यम से) 21 जून 2021
2.	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति की 11वीं बैठक	एनटीसीए (वीसी के माध्यम से) 1 सितंबर, 2021
3.	'टाइगर रिजर्वों और संलग्न क्षेत्रों में अग्नि प्रतिरक्षा तैयार (दावानल संपरीक्षा) के स्व-आकलन के लिए दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल' विषय पर बैठक।	एनटीसीए (वीसी के माध्यम से) 2 सितंबर, 2021
4.	माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का आवर्धन एवं विकास	एनटीसीए (वीसी के माध्यम से) 18 नवंबर, 2021
5.	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति की 12वीं बैठक	एनटीसीए (वीसी के माध्यम से) 23 नवंबर, 2021
6.	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक	एमओईएफएंडसीसी 5 जनवरी, 2022
7.	सरिष्का टाइगर रिजर्व में एकल दिवस सम्मेलन	सरिस्का टाइगर रिजर्व 3 फरवरी 2022
8.	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति की 13वीं बैठक	एमओईएफएंडसीसी 7 फरवरी, 2022
9.	''टाइगर रिजर्वों की एमईई के लिए संकेतकों / मापदंडों की पुनर्संरचना और मूल्यांकन'' विषय पर बैठक	एनटीसीए (वीसी के माध्यम से) 16 फरवरी, 2022
10.	टाइगर रेंज राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों और टाइगर रिजर्वों के क्षेत्र निदेशकों की बैठक, 2022	चन्द्रपुर वन एकेडमी 3 से 4 मार्च, 2022

पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन :

वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक की अवधि के लिए एनटीसीए का बजट आवंटन नीचे दिया गया है।

(लाख रुपये में)

शीर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
एनटीसीए	900.00	740.00	1000.00
सीएसएस (पीटी)	28257.00	19500.00	22000.00
कुल	**29157.00**	**20240.00**	**23000.00**

****

अध्याय VI : राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के के वित्त और लेखे
वित्तीय वर्ष 2021-22

एनटीसीए को सहायता अनुदान के रूप में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से वित्त पोषण सहायता प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एनटीसीए द्वारा की गई प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	प्राप्तियां	राशि	भुगतान	राशि (रुपये में)
1.	अग्रदाय राशि :	1,75,000.00	व्यय	3,95,52,539.00
2.	बैंक शेष : (i) जमा खाता (ii) बचत बैंक खाता	14,61,483.10	परियोजनाओं और प्रशिक्षण कार्यशालाओं और सम्मेलनों के लिए निधि	5,46,18,814.00
3.	प्राप्त ब्याज	3,84,393.00	अचल आस्तियों पर व्यय	20,76,043.00
4.	अग्रिम की वसूली	49,59,320.00	वित्त प्रभार : जमा किया ब्याज	3,80,221.00
5.	प्रतिभूति जमा राशि	-	वसूली योग्य अग्रिम	66,46,305.00
6.	एनटीसीए को अनुदान सहायता	9,86,26,121.00	अन्य भुगतान: क) प्रतिभूति जमा जारी/प्रेषित ख) एमईए प्राप्य लेखे ग) जमा (आस्तियों की बिक्री से प्राप्त)	3,794.00 3,83,687.00 62,111.00
7.	बिक्री राशि आस्तियां	56,111.00	अग्रिम	1,75,000.00
8.	विविध प्राप्तियां	-	बैंक शेष :- जमा खाता	-
9.	--	--	बैंक शेष :- बचत खाता	17,63,914.10
			भारत सरकार को आधिक्य राशि की वापसी	-
	कुल	**10,56,62,428.10**	**कुल**	**10,56,62,428.10**

****

अध्याय VII : राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक योजना

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को केंद्र प्रायोजित योजना, प्रोजेक्ट टाइगर (सीएसएस (पीटी)) के साथ-साथ सहायता अनुदान के माध्यम से वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। सीएसएस (पीटी) के माध्यम से प्राप्त निधि का उपयोग संबंधित टाइगर रिजर्व की व्याघ्र संरक्षण योजना (टीसीपी) के अनुसार वार्षिक रूप से किया जाता है। सीएसएस (पीटी) निधि पार्क की निगरानी और प्रबंधन, मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन, गश्त और अन्य संबंधित प्रबंधकीय मुद्दों में सहायता करती है।

सहायता अनुदान के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग अखिल भारतीय व्याघ्र आकलन (एआईटीई) और अन्य परियोजनाओं, एम-स्ट्रिप्स, कार्यालयों के कामकाज और व्याघ्र प्रकोष्ठ हेतु किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एनटीसीए को सहायता अनुदान के रूप में 1000.00 लाख और सीएसएस (पीटी) के रूप में 220 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। सहायता अनुदान का विवरण अध्याय VI में दिया गया है, और सीएसएस (पीटी) का विवरण अनुलग्नक III में दिया गया है।

****

अध्याय VIII : अनुपालना संबंधी मुद्दे

1. व्याघ्र संरक्षण योजनाओं की स्थिति (दिनांक 31.3.2022 को)

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 38**ओ** के अंतर्गत राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, राज्यों द्वारा तैयार की गई व्याघ्र संरक्षण योजनाओं को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत है। राज्यों से प्राप्त व्याघ्र संरक्षण योजनाओं (टीसीपी) का विवरण निम्नानुसार है :

टाइगर रिजर्वों की कुल संख्या	51
अनुमोदित व्याघ्र संरक्षण योजनाएं	38
व्याघ्र संरक्षण योजनाओं का अंतिम मसौदा प्राप्त और समीक्षाधीन	6
बाघ संरक्षण योजना का अंतिम मसौदा अप्राप्त है	3
टिप्पणियों को शामिल करने के बाद अपेक्षित अंतिम मसौदा	4

अब तक अनुमोदित टीसीपी की सूची

निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों की बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) को एनटीसीए द्वारा अनुमोदित किया गया है।

क्र.सं.	टाइगर रिजर्व	राज्य
1	अचानकमार	छत्तीसगढ़
2	अमराबाद	तेलंगाना
3	अनामलाई	तमिलनाडु
4	बांदीपुर	कर्नाटक
5	भद्रा	कर्नाटक
6	बिलिगिरि रंगनाथ मंदिर	कर्नाटक
7	बक्सा	पश्चिम बंगाल
8	कॉर्बेट	उत्तराखंड
9	डमपा	मिजोरम
10	डंडेली अंशी	कर्नाटक
11	दुधवा	उत्तर प्रदेश
12	कलाक्कड - मुंडनथुरइ	तमिलनाडु
13	कान्हा	मध्य प्रदेश
14	कावल	तेलंगाना
15	मानस	असम
16	मेलघाट	महाराष्ट्र
17	मुदुमलई	तमिलनाडु

18	नागरहोल	कर्नाटक
19	नागार्जुन सागर - श्री सैलम	आंध्र प्रदेश
20	नामधापा	अरुणाचल प्रदेश
21	नामेरी	असम
22	पाक्के	अरुणाचल प्रदेश
23	पलामाउ	झारखंड
24	परमबीकुलम	केरल
25	पेंच	मध्य प्रदेश
26	पेंच	महाराष्ट्र
27	पेरियार	केरल
28	सह्याद्री	महाराष्ट्र
29	संजय डुबरी	मध्य प्रदेश
30	सरिस्का	राजस्थान
31	सत्यमंगलम	तमिलनाडु
32	सतकोसिया	ओडिशा
33	सतपूड़ा	मध्य प्रदेश
34	सिमलीपाल	ओडिशा
35	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल
36	तदोबा-अंधेरी	महाराष्ट्र
37	उदांती सीतानदी	छत्तीसगढ़
38	वाल्मीकि	बिहार

समीक्षाधीन और लंबित टीसीपी का ब्यौरा

क्र.सं.	**समीक्षाधीन**	**अप्राप्त**	**टिप्पणियों को शामिल करने के उपरांत अपेक्षित अंतिम मसौदा**
1.	कामलांग	बांधवगढ़	इंद्रावती
2.	काजीरंगा	रणथंभौर	नावेगांव - नागजीरा
3.	ओरांग	श्रीविल्लिपुथुर मेगामलाई	बोर
4.	पन्ना		पीलीभीत
5.	मुकुंद्रा हिल्स		
6.	राजाजी		

संचालन समिति (दिनांक 31. 3. 2022 की स्थिति के अनुसार):

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 38**यू** के तहत, राज्यों को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन करना आवश्यक है। सभी टाइगर रेंज राज्यों में संचालन समिति का गठन किया गया है।

इन संचालन समितियों की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने के लिए इस प्राधिकरण के द्वारा राज्यों के साथ पत्राचार किया गया है।

व्याघ्र संरक्षण संस्थापना (टी.सी.एफ.) / प्रतिष्ठान (दिनांक 31. 3. 2022 की स्थिति के अनुसार)

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38**एक्स** के तहत, राज्यों को टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने और उनके सहायता करने हेतु बाघ संरक्षण फाउंडेशन का गठन करना आवश्यक है। बाघ संरक्षण फाउंडेशन के गठन की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**टाइगर रिजर्व**	**राज्य**
1.	अचनकमार टाइगर रिजर्व	छत्तीसगढ़
2.	अमराबाद टाइगर रिजर्व	तेलंगाना
3.	अनामलाई टाइगर रिजर्व	तमिलनाडु
4.	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश
5.	बांदीपुर टाइगर रिजर्व	कर्नाटक
6.	भद्रा टाइगर रिजर्व	कर्नाटक
7.	बीआरटी टाइगर रिजर्व	कर्नाटक
8.	बोर टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र
9.	बक्सा टाइगर रिजर्व	पश्चिम बंगाल
10.	कॉर्बेट टाइगर रिजर्व	उत्तराखंड
11.	दमपा टाइगर रिजर्व	मिजोरम
12.	दुधवा टाइगर रिजर्व	उत्तर प्रदेश
13.	इंद्रावती टाइगर रिजर्व	छत्तीसगढ़
14.	काली (दांदेली अंशी) टाइगर रिजर्व	कर्नाटक
15.	कान्हा टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश
16.	कावल टाइगर रिजर्व	तेलंगाना
17.	काजीरंगा टाइगर रिजर्व	असम
18.	कलक्काड़ मुंडनतुरई टाइगर रिजर्व	तमिलनाडु
19.	मदुमलाई टाइगर रिजर्व	तमिलनाडु
20.	मानस टाइगर रिजर्व	असम
21.	मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व	राजस्थान

22.	मेलघाट टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र
23.	नागरहोल टाइगर रिजर्व	कर्नाटक
24.	नागार्जुनसागर टाइगर रिजर्व	आंध्र प्रदेश
25.	नमदाफा टाइगर रिजर्व	अरुणाचल प्रदेश
26.	नामेरी टाइगर रिजर्व	असम
27.	नवेगांव-नागजीरा टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र
28.	ओरंग टाइगर रिजर्व	असम
29.	पाक्के टाइगर रिजर्व	अरुणाचल प्रदेश
30.	पलामाउ टाइगर रिजर्व	झारखंड
31.	पन्ना टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश
32.	परम्बीकुलम टाइगर रिजर्व	केरल
33.	पेंच टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश
34.	पेंच टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र
35.	पेरियार टाइगर रिजर्व	केरल
36.	रणथंभौर टाइगर रिजर्व	राजस्थान
37.	सह्याद्री टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र
38.	संजय दुबरी टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश
39.	सरिस्का टाइगर रिजर्व	राजस्थान
40.	सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व	तमिलनाडु
41.	सतकोसिया टाइगर रिजर्व	ओडिशा
42.	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश
43.	सिमलीपाल टाइगर रिजर्व	ओडिशा
44.	सुंदरबन टाइगर रिजर्व	पश्चिम बंगाल
45.	तडोबा- अंधेरी टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र
46.	उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व	छत्तीसगढ़
47.	वाल्मीकि टाइगर रिजर्व	बिहार

लंबित टीसीएफ : -

निम्नलिखित टाइगर रिजर्वों के टीसीएफ अभी गठित किए जाने हैं।

1. पीलीभीत टाइगर रिजर्व (उत्तर प्रदेश)
2. राजाजी टाइगर रिजर्व (उत्तराखंड)
3. कामलांग टाइगर रिजर्व (अरुणाचल प्रदेश)
4. श्रीविल्लिपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व (तमिलनाडु)

मुख्य और बफर अधिसूचना (दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार) :

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38**वी** के तहत, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यों द्वारा मुख्य और बफर अधिसूचना की स्थिति निम्नानुसार है :

क्र. सं.	निर्माण का वर्ष	टाइगर रिजर्व का नाम	राज्य	मूल /नाजुक व्याघ्र आवास क्षेत्र (वर्ग किमी में)	बफर / परिधीय क्षेत्र (वर्ग किमी में)	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)
1	1973 - 1974	बांदीपुर	कर्नाटक	872.24	584.06	1456.3
2	1973 - 1974	कॉर्बेट	उत्तराखंड	821.99	466.32	1288.31
		अमानगढ़ (कॉर्बेट टीआर का बफर)	उत्तर प्रदेश	-	80.60	80.60
3	1973 - 1974	कान्हा	मध्य प्रदेश	917.43	1134.361	2051.791
4	1973 - 1974	मानस	असम	526.22	2310.88	2837.10
5	1973 - 1974	मेलघाट	महाराष्ट्र	1500.49	1268.03	2768.52
6	1973 - 1974	पलामाउ	झारखंड	414.08	715.85	1129.93
7	1973 - 1974	रणथंभौर	राजस्थान	1113.364	297.9265	1411.291
8	1973 - 1974	सिमलीपाल	ओडिशा	1194.75	1555.25	2750.00
9	1973 - 1974	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल	1699.62	885.27	2584.89
10	1978 - 1979	पेरियार	केरल	881.00	44.00	925.00
11	1978 - 1979	सरिस्का	राजस्थान	881.1124	332.23	1213.342
12	1982 - 1983	बुक्सा	पश्चिम बंगाल	390.5813	367.3225	757.9038
13	1982 - 1983	इंद्रावती	छत्तीसगढ़	1258.37	1540.70	2799.07
14	1982 - 1983	नमदाफा	अरुणाचल प्रदेश	1807.82	245.00	2052.82
15	1987 - 1988	दुधवा	उत्तर प्रदेश	1093.79	1107.9848	2201.7748
16	1988 - 1989	कालाकड - मुंडनथुरई	तमिलनाडु	895.00	706.542	1601.542
17	1989 - 1990	वाल्मीकि	बिहार	598.45	300.93	899.38
18	1992 - 1993	पेंच	मध्य प्रदेश	411.33	768.30225	1179.63225
19	1993 - 1994	तदोबा-अंधारी	महाराष्ट्र	625.82	1101.7711	1727.5911
20	1993 - 1994	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	716.903	820.03509	1536.938
21	1994 - 1995	पन्ना	मध्य प्रदेश	576.13	1021.97	1598.10
22	1994 - 1995	डमपा	मिजोरम	500.00	488.00	988.00
23	1998 - 1999	भद्रा	कर्नाटक	492.46	571.83	1064.29

24	1998 - 1999	पेंच	महाराष्ट्र	257.26	483.96	741.22
25	1999 - 2000	पक्के	अरुणाचल प्रदेश	683.45	515.00	1198.45
26	1999 - 2000	नामेरी	असम	320.00	144.00	464.00
27	1999 - 2000	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश	1339.264	794.04397	2133.30797
28	2008 - 2009	अनामलाई	तमिलनाडु	958.59	521.28	1479.87
29	2008 - 2009	उदांति - सीतानदी	छत्तीसगढ़	851.09	991.45	1842.54
30	2008 - 2009	सतकोसिया	ओडिशा	523.61	440.26	963.87
31	2008 - 2009	काजीरंगा	असम	625.58	548.00	1173.58
32	2008 - 2009	अचानकमार	छत्तीसगढ़	626.195	287.822	914.017
33	2008 - 2009	डंडेली अनशी	कर्नाटक	814.884	282.63	1097.514
34	2008 - 2009	संजय - डुबरी	मध्य प्रदेश	812.571	861.931	1674.502
35	2008 - 2009	मुदुमलई	तमिलनाडु	321.00	367.59	688.59
36	2008 - 2009	नागरहोले	कर्नाटक	643.35	562.41	1205.76
37	2008 - 2009	परम्बिकुलम	केरल	390.89	252.772	643.662
38	2009 - 2010	सहयाद्री	महाराष्ट्र	600.12	565.45	1165.57
39	2010 - 2011	बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर	कर्नाटक	359.10	215.72	574.82
40	2012 - 2013	कवल	तेलंगाना	892.23	1123.212	2015.44
41	2013 - 2014	सत्यमंगलम	तमिलनाडु	793.49	614.91	1408.40
42	2013 - 2014	मुकंदरा हिल्स	राजस्थान	417.17	342.82	759.99
43	2013 -2014	नवेगॉव - नगजिरा	महाराष्ट्र	653.674	1241.27	653.674
44	1982 - 1983	नागार्जुनसागर श्रीशैलम	आंध्र प्रदेश	2595.72	700.59	3296.31
45	2014	अमराबाद	तेलंगाना	2166.37	445.02	2611.39
46	2014	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	602.7980	127.4518	730.2498
47	2014	बोर	महाराष्ट्र	138.12	678.15	816.27
48	2015	राजाजी	उत्तराखंड	819.54	255.63	1075.17
49	2016 (24.02.2016)	ओरंग	असम	79.28	413.18	492.46
50	2016 (08.09.2016)	कामलांग	अरुणाचल प्रदेश	671.00	112.00	783.00
51	2021 (08.02.2021)	श्रीविल्लिपुथर मेगामलाई टाइगर रिजर्व	तमिलनाडु	641.86	374.41	1016.57
		कुल		**40,787.16**	**32,978.43**	**73,765.59**

अध्याय IX - अनुलग्नक

अनुलग्नक - I - भारत में स्थित टाइगर रिजर्वों की सूची

क्र.सं.	टाइगर रिजर्व	राज्य
1	नागार्जुन सागर	आंध्र प्रदेश
2	नामधापा	अरुणाचल प्रदेश
3	पाक्के	अरुणाचल प्रदेश
4	कामलांग	अरुणाचल प्रदेश
5	काजीरंगा	असम
6	मानस	असम
7	नामेरी	असम
8	ओरंग	असम
9	वाल्मीकि	बिहार
10	अचानकमार	छत्तीसगढ़
11	इंद्रावती	छत्तीसगढ़
12	उदांती सीतानदी	छत्तीसगढ़
13	पलामू	झारखंड
14	बांदीपुर	कर्नाटक
15	भद्रा	कर्नाटक
16	डंडेली अंशी	कर्नाटक
17	नागरहोल	कर्नाटक
18	बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर	कर्नाटक
19	पेरियार	केरल
20	परमबी कुलम	केरल
21	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश
22	कान्हा	मध्य प्रदेश
23	पन्ना	मध्य प्रदेश
24	पेंच	मध्य प्रदेश
25	संजय दुबरी	मध्य प्रदेश
26	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश

27	मेलघाट	महाराष्ट्र
28	पेंच	महाराष्ट्र
29	तदोबा-अंधेरी	महाराष्ट्र
30	सह्याद्री	महाराष्ट्र
31	नावेगांव - नागजीरा	महाराष्ट्र
32	बोर	महाराष्ट्र
33	डमपा	मिजोरम
34	सतकोसिया	ओडिशा
35	सिमलीपाल	ओडिशा
36	रणथम्भोर	राजस्थान
37	सरिस्का	राजस्थान
38	मुकन्द्रा	राजस्थान
39	कालाकाड - मुंडानथुरइ	तमिलनाडु
40	मुदुमलई	तमिलनाडु
41	अनामलाई	तमिलनाडु
42	सत्यमंगलम	तमिलनाडु
43	श्रीविल्लिपुथुर मेगामलाई	तमिलनाडु
44	कवल	तेलंगाना
45	अमराबाद	तेलंगाना
46	राजाजी	उत्तराखंड
47	कॉर्बेट	उत्तराखंड
48	दुधवा	उत्तर प्रदेश
49	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश
50	बक्सा	पश्चिम बंगाल
51	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल

अनुलग्नक - II व्याघ्रों की मृत्यु (प्राकृतिक और अन्य कारण)

<u>टाइगर रिजर्व के अंदर (दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक)</u>

क्र.	तिथि/माह/वर्ष	राज्य	टाइगर रिजर्व
1.	12/04/2021	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, गोब्रताल बीट, कॉम्प्ट. सं 336, मानपुर रेंज
2.	13/04/2021	उत्तर प्रदेश	दुधवा टाइगर रिजर्व, मैलानि रेंज, बीट सं. 37
3.	14/04/2021	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, तला रेंज
4.	17/04/2021	मध्य प्रदेश	कान्हा टाइगर रिजर्व (हरदादर बीट, कॉम्प्ट. सं 177, मुक्कि रेंज)
5.	22/04/2021	कर्नाटक	नागरहोल टाइगर रिजर्व (दत्तहल्ला, सल्लेपुरा बीट, मंतल्लि खंड, वीरन्होसल्ली रेंज)
6.	23/04/2021	मध्य प्रदेश	पेंच टाइगर रिजर्व (तुकाडि बैरियर, घाटकोखा रेंज)
7.	27/04/2021	कर्नाटक	नागरहोल टाइगर रिजर्व (बल्ले केरे के पास, ककंकोते बीट एवं खंड, डी.बी. कुप्पे रेंज)
8.	30/04/2021	कर्नाटक	भद्रा टाइगर रिजर्व, थनिगेब्य्ले रेंज, केम्मन्नुगुंडि खंड एवं बीट
9.	08/05/2021	मध्य प्रदेश	कान्हा टाइगर रिजर्व, ग़ढीददर बीट, कॉम्प्ट. सं 234, बैसनघाट रेंज
10.	14/05/2021	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कॉम्प्ट आर.एफ 334, बर्खेदा बीट, मानपुर रेंज
11.	15/05/2021	मध्य प्रदेश	पन्ना टाइगर रिजर्व
12.	19/05/2021	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कॉम्प्ट.124, भैरोबीट, माला रेंज
13.	22/05/2021	कर्नाटक	बांदिपुर टाइगर रिजर्व, नुगु रेंज, हेदियाला उप-खंड
14.	30/05/2021	पश्चिम बंगाल	सुन्दरबन टाइगर रिजर्व, हरेखलि

15.	05/06/2021	असम	काजीरंगा टाइगर रिजर्व (सिधा कथोनि क्षेत्र)
16.	05/06/2021	कर्नाटक	बी.आर.टी टाइगर रिजर्व, कोत्तदहल्ला वन क्षेत्र, के गुडि बीट/राउण्ड, वन्यजीव रेंज
17.	05/06/2021	महाराष्ट्र	तडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व, दोनी बीट, कॉम्प्ट. सं 327, मुल रेंज
18.	10/06/2021	कर्नाटक	बांदिपुर टाइगर रिजर्व, मद्दुर रेंज, होंगल्लि बीट
19.	15/06/2021	कर्नाटक	बांदिपुर टाइगर रिजर्व, बांदिपुर रेंज
20.	17/06/2021	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत टाइगर रिजर्व (हरिपुर कॉम्प्ट.86, जतपुरा बीट, हरिपुर रेंज)
21.	20/06/2021	उत्तराखंड	कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कॉम्प्ट 02, धेला वेस्ट बीट, धेला हिल ब्लॉक, धेला रेंज
22.	06/07/2021	राजस्थान	रणथम्भोर टाइगर रिजर्व
23.	13/07/2021	असम	काजीरंगा टाइगर रिजर्व, सेंट्रल रेंज (कोहोरा)
24.	19/07/2021	महाराष्ट्र	तडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व (ताम्सी बीट)
25.	27/07/2021	कर्नाटक	नागरहोल टाइगर रिजर्व, हेबल्ला थोदु, ॲनेचोव्कुर वन्यजीव रेंज
26.	12/08/2021	कर्नाटक	बांदिपुर टाइगर रिजर्व (कुंदुकेरे रेंज)
27.	16/08/2021	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (धमोकर बीट, मगधी रेंज)
28.	27/08/2021	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (धमोकर रेंज)
29.	29/08/2021	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (मांगपुर रेंज)
30.	14/09/2021	कर्नाटक	बांदिपुर टाइगर रिजर्व (कंदथुर बीट)
31.	17/09/2021	कर्नाटक	नागरहोल टाइगर रिजर्व (हुंसुर वन्यजीव रेंज)
32.	27/09/2021	उत्तर प्रदेश	दुधवा टाइगर रिजर्व, मैलानि रेंज
33.	09/10/2021	उत्तर प्रदेश	दुधवा टाइगर रिजर्व, (कतेर्निआ घाट डब्ल्यू.एल.एस.)

34.	10/10/2021	मध्य प्रदेश	कान्हा टाइगर रिजर्व (मनोहरपुर बीट)
35.	02/11/2021	असम	ओरंग टाइगर रिजर्व
36.	06/11/2021	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कॉम्प्ट सं 210 पतौर रेंज
37.	10/11/2021	मध्य प्रदेश	पन्ना टाइगर रिजर्व
38.	18/11/2021	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कॉम्प्ट सं पी.एफ.-145, धमोकर, परसि बीट
39.	28/11/2021	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कॉम्प्ट सं आर.एफ.-279, बेहर्ह बाडा, मगधी बीट, मगधी रेंज
40.	09/12/2021	तमिलनाडु	मुदुमलई टाइगर रिजर्व, नोर्थेन्हेय बीट, सिंगरा खंड, सिंगरा रेंज
41.	11/12/2021	बिहार	वाल्मिकी टाइगर रिजर्व, मंगुरहा रेंज, संभाग-I
42.	14/12/2021	तमिलनाडु	सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, बल्लला सरगम, करलवादि गाँव, अखुरुजोरै आर.एफ, थिगनारै साउथ बीट
43.	28/12/2021	महाराष्ट्र	पेंच टाइगर रिजर्व, कॉम्प्ट सं 625, पथर बीट, सलेघाट राउण्ड और रेंज
44.	06/01/2022	बिहार	वाल्मिकी टाइगर रिजर्व
45.	08/01/2022	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
46.	13/01/2022	कर्नाटक	गंदथुर बीट, गुंद्रे रेंज का होसल्लि खंड
47.	14/01/2022	केरल	थेक्काडी, पेरियार टाइगर रिजर्व पूर्व प्रभाग
48.	15/01/2022	मध्य प्रदेश	पेंच टाइगर रिजर्व
49.	25/01/2022	कर्नाटक	नागरहोल टाइगर रिजर्व, गरिगेमरदहल्ला, गोलुर फायर लाइन के पास, ककंकोते खंड, सुलिअबल्ले बीट, डीबी कुप्पे रेंज
50.	25/01/2022	कर्नाटक	नागरहोल टाइगर रिजर्व, गरिगेमरदहल्ला, गोलुर फायर लाइन के पास, ककंकोते खंड, सुलिअबल्ले बीट, डीबी कुप्पे रेंज

51.	28/01/2022	मध्य प्रदेश	बांधवगढ टाइगर रिजर्व, गदरिहार, बद्वार बीट
52.	29/01/2022	कर्नाटक	बांदिपुर टाइगर रिजर्व, धनददरि जीप मार्ग, मूलेहोल बीट, मूलेहोल खंड, मूलेहोल रेंज
53.	08/02/2022	मध्य प्रदेश	कान्हा टाइगर रिजर्व, कॅम्पार्टमेंट 106, कान्हा बीट, कान्हा सर्कल, कान्हा रेंज
54.	09/02/2022	आंध्र प्रदेश	नागार्जुनसागर श्रीसैलम टाइगर रिजर्व, कॅम्पार्टमेंट सं 355, नांद्यल प्रभाग में नुथाला नॉर्थ बीट का गंद्लेरु रिजर्वॉयर
55.	14/02/2022	कर्नाटक	नागरहोल टाइगर रिजर्व, देवमाचि आरक्षित वन, बफर जोन
56.	18/02/2022	मध्य प्रदेश	कान्हा टाइगर रिजर्व, कॉ सं 693, खतिआ बीट, किस्लि सर्कल/रेंज
57.	18/02/2022	असम	काजीरंगा टाइगर रिजर्व, सदर्न वुडलैण्ड, करसिंग ए.पी.सी. के पेट्रोलिंग पाथ के पास,
58.	01/03/2022	मध्य प्रदेश	पेंच टाइगर रिजर्व, आर.एफ. 642, अलेसुर, रुक्कड सर्कल
59.	08/03/2022	मध्य प्रदेश	पेंच टाइगर रिजर्व, कॉम्पट नं 630, वेस्ट खम्रित बीट
60.	09/03/2022	कर्नाटक	बांदिपुर टाइगर रिजर्व, गुंदरे रेंज, होसहल्लि खंड
61.	12/03/2022	असम	ओरंग टाइगर रिजर्व, अमुल्य एंटि-पोचिंग केम्प क्षेत्र
62.	17/03/2022	मध्य प्रदेश	संजय दुबरि टाइगर रिजर्व, दुबरि रेंज
63.	25/03/2022	मध्य प्रदेश	संजय दुबरि टाइगर रिजर्व, दुबरि रेंज

टाइगर रिजर्व के बाहर (दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक)

क्र.	तिथि/माह/वर्ष	राज्य	टाइगर रिजर्व
1.	25/04/2021	महाराष्ट्र	पंधरखवडा
2.	02/05/2021	मध्य प्रदेश	कॉम्प्ट 298, चोका बीट, बरखेडा रेंज
3.	05/05/2021	मध्य प्रदेश	सीहोर संभाग, भोपाल, आर.एफ. 659, रामनगर बीट
4.	07/05/2021	मध्य प्रदेश	कॉम्प्ट 543, बोदलकसा बीट, प्रोजेक्ट रेंज कार्यालय वारासिवनी
5.	11/05/2021	मध्य प्रदेश	बैतुल
6.	12/05/2021	महाराष्ट्र	भंडारा, कॉम्प्ट 310 आर एफ, गुदेगव बीट, सावरला राउण्ड, पौनि रेंज
7.	27/05/2021	मध्य प्रदेश	कॉम्प्ट आर एफ 241, घुंघुंती रेंज, उमरिया
8.	18/06/2021	असम	जपोरिपथर, करुआबारि
9.	18/06/2021	मध्य प्रदेश	आर-239 बीट, घुंघुंती रेंज, उमरिया
10.	06/07/2021	मध्य प्रदेश	प्रिंस ढाबा के पास, शिवानी रोड, छिंदवाडा
11.	26/07/2021	केरल	पूचकुलन, मुथंगा रेंज, वॉयनाड वन्यजीव अभ्यारण्य
12.	29/07/2021	तेलंगाना	मुल्लाकुट्टा ब्रिज, एतुर्नगरम संभाग, वारंगल सर्कल
13.	03/08/2021	मध्य प्रदेश	बीट जमुनिया पी एफ 570, देलावाडी रेंज, रातापानी व.जी.अ., ओबैदुल्लागंज संभाग
14.	20/08/2021	छत्तीसगढ	भानुप्रतापपुर
15.	24/08/2021	केरल	कुट्टमपुझा, वरिअम बीट, पेरुमुज़्हि वन स्टेशन, एदमलयर रेंज, मलयत्तूर संभाग
16.	24/08/2021	मध्य प्रदेश	खवासा

17.	18/09/2021	केरल	न्हरथलम क्षेत्र, पोंकुज़्हि खंड, सुल्तान बथेरि रेंज, वॉयनाड वन्यजीव संभाग, वॉयनाड वन्यजीव अभ्यारण्य
18.	20/09/2021	तमिलनाडु	वरमलै सरगम, कूथमुंदि बीट, पेथिकुट्टै खंड, सिरुमुगइ रेंज, कोयम्बतूर वन संभाग
19.	02/10/2021	तेलंगाना	लिंगाला रेंज, तड्वी संभाग, मुलुगु जिला
20.	13/10/2021	बिहार	मानपुर वन के पास, मंगुरहा रेंज संभाग-1
21.	30/10/2021	तेलंगाना	कागज़नगर संभाग, जिला असिफाबाद
22.	01/11/2021	मध्य प्रदेश	कॉम्प्ट पी एफ 204, सिंग्पुर रेंज, सतना सर्कल
23.	11/11/2021	महराष्ट्र	पवना बीट, मसल राउण्ड, भद्रावती रेंज, चंद्रपुर
24.	12/11/2021	आंध्र प्रदेश	233/9 कि.मी. स्टोन, चलमा स्टेशन सुरंग के पास, चलमा रेंज, ननद्याल व.जी.संभाग, कर्नूल सर्कल
25.	16/11/2021	मध्य प्रदेश	कम्पार्ट्मेंट आर 690, सपपार बीट, बर्घाट प्रोड्क्शन संभाग
26.	20/11/2021	मध्य प्रदेश	बंजारी बीट, वेस्ट सराइ रेंज, सिंगरालि संभाग, रीवा सर्कल
27.	25/11/2021	छत्तीसगढ	कॉम्प्ट आर एफ 94. तिंगिपुर बीट, तेंदुआ रेंज, कोटा प्रोजेक्ट संभाग, तेंदुआ सर्कल
28.	27/11/2021	महाराष्ट्र	कॉम्प्ट 500, कारवा बीट, बल्लारशाह रेंज, सेंट्रल चांदा संभाग, चंद्रपुर सर्कल
29.	29/11/2021	महाराष्ट्र	सर्वे सं 16, मनोरा गाँव, मोखला बीट, भिवापुर राउण्ड, दक्षिण उमरेड रेंज, नागपुर संभाग
30.	15/12/2021	महाराष्ट्र	सी.एस.पी.टी.एस. क्षेत्र, मोरवा बीट, चंद्रपुर रेंज/संभाग/सर्कल
31.	21/12/2021	तेलंगाना	'वाय' जंक्शन जगन्नाधपुरम गाँव, दुलापुरम रेंज, वेंकटपुरम संभाग, जिला मुलुगु, वारंगल सर्कल

32.	26/12/2021	महाराष्ट्र	पोम्भुर्ना, चंद्रपुर
33.	27/12/2021	मध्य प्रदेश	आर एफ 200, नारायणडिह, डिंडोरि संभाग
34.	29/12/2021	मध्य प्रदेश	कॉम्प्ट पी 1615, भुतंसओंगी बीट, सहंवाडी राउण्ड, कन्हान रेंज, दक्षिण छिंदवाडा संभाग, छिंदवाडा सर्कल
35.	30/12/2021	महाराष्ट्र	कॉम्प्ट सं 615, मोसम बीट, इंदरम राउण्ड, अहेरी रेंज, अल्लापल्ली संभाग, गढचिरोलि सर्कल
36.	03/01/2022	महाराष्ट्र	कृषि भूमि, कोडा-चाल्बर्दि शिव रोड, भद्रावती बीट/रेंज, चंद्रपुर संभाग/ सर्कल, कॉम्प्ट 1415, करहंडला बीट, उमरेड रेंज
37.	05/01/2022	महाराष्ट्र	कतली गाँव, सखरा बीट, पोर्ले राउण्ड/रेंज, वद्सा संभाग, गढचिरोलि सर्कल
38.	13/01/2022	महाराष्ट्र	रामघाट-1 बीट, अर्जनी मोरगाँव राउण्ड/रेंज, गोंदिया वन संभाग, नागपुर सर्कल
39.	18/01/2022	मध्य प्रदेश	अमजोर रेंज, धोलर बीट, तेंदुआ, उत्तर शहडोल संभाग
40.	28/01/2022	महाराष्ट्र	मथाडी गाँव के एस.एन. 42 नल्हा के पास, डोडमज़रि बीट, भंडारा रेंज/ संभाग, नागपुर सर्कल
41.	06/02/2022	महाराष्ट्र	कॉम्प्ट सं 420, पओनि रेंज, एफ.डी.सी.एम. लिमि., वन परियोजना संभाग, नागपुर
42.	08/02/2022	असम	बंदर्देवा के पास, हर्मोति रेंज, लखिमपुर संभाग
43.	13/02/2022	महाराष्ट्र	अल्लापल्ली संभाग
44.	14/02/2022	केरल	मेलप्पेडि, नेल्लियमपथि वन संभाग/रेंज
45.	28/02/2022	महाराष्ट्र	ग़ेट सं 582, हुमा गाँव/बीट, नगभिड राउण्ड/रेंज, ब्रह्मपुरि वन संभाग
46.	28/02/2022	असम	सिल्दुबि गाँव (सं 1) बोकखाट राजस्व सर्कल, जिला गोलाघाट

47.	13/03/2022	महाराष्ट्र	घोतुर्लि गाँव का निजि फार्म, उदसा बीट, मकरधोकडा राउण्ड, उत्तर उमरेड रेंज, नागपुर संभाग
48.	20/03/2022	मध्य प्रदेश	रत्ता गाँव/बीट, दक्षिण बालाघाट क्षेत्रीय संभाग, बालाघाट सर्कल
49.	29/03/2022	मध्य प्रदेश	रा.राज.44 नागपुर-जबलपुर रोड, बटवानी गाँव के पास, खापा बीट, सिवनी रेंज/सर्कल, दक्षिण सिवनी संभाग
50.	31/03/2022	मध्य प्रदेश	बपेरा गाँव के पास बावनथडी परियोजना की छोटी नहर, अम्बागड बीट, नकलडोंगरी रेंज, भंडारा संभाग

*****

अनुलग्नक III - सीएसएस - व्याघ्र परियोजना : वर्ष 2021-22 के लिए संस्वीकृति विवरण

टाइगर रिजर्व वार संस्वीकृतियों का विवरण

क्र.सं.	**टाइगर रिजर्व**	**राज्य**	**वर्ष 2021-22 के दौरान निर्मोचन, जिसमें ग्राम पुनर्वास शामिल है (लाख रु. में)**
1.	नागार्जुनसागर	आंध्र प्रदेश	292.1100
2.	कामलांग	अरुणाचल प्रदेश	135.8200
3.	पाक्के	अरुणाचल प्रदेश	435.9000
4.	नमदाफा	अरुणाचल प्रदेश	297.3600
5.	ओरंग	असम	253.2200
6.	मानस	असम	417.8500
7.	नामेरी	असम	132.5900
8.	काजीरंगा	असम	673.0900
9.	वाल्मीकि	बिहार	552.7200
10.	इंद्रावती	छत्तीसगढ़	45.6000
11.	अचानकमार	छत्तीसगढ़	204.9250
12.	उदांति - सीतानदी	छत्तीसगढ़	105.3200
13.	पलामू	झारखंड	195.0600
14.	काली (डंडेली आंशी)	कर्नाटक	441.0600
15.	नागरहोल	कर्नाटक	774.0700
16.	भद्रा	कर्नाटक	357.6700
17.	बांदीपुर	कर्नाटक	1084.8900
18.	बीआरटी	कर्नाटक	299.0100
19.	पेरियार	केरल	488.8875
20.	परम्बिकुलम	केरल	379.8950
21.	पेंच	मध्य प्रदेश	512.6600
22.	पन्ना	मध्य प्रदेश	472.8825
23.	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	350.5900
24.	कान्हा	मध्य प्रदेश	750.9900
25.	संजय दुबरी	मध्य प्रदेश	304.9000

26.	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश	454.8200
27.	कुनो राष्ट्रीय उद्यान	मध्य प्रदेश	676.6800
28.	मेलघाट	महाराष्ट्र	592.5900
29.	बोर	महाराष्ट्र	152.4700
30.	नवेगांव - नागजीरा	महाराष्ट्र	402.2700
31.	तदोबा - अंधारी	महाराष्ट्र	1077.5200
32.	पेंच	महाराष्ट्र	571.5000
33.	सह्याद्री	महाराष्ट्र	194.7100
34.	डमपा	मिजोरम	374.1300
35.	सतकोसिया	ओडिशा	290.8000
36.	सिमलीपाल	ओडिशा	766.0600
37.	मुकुंदरा	राजस्थान	230.2900
38.	रणथंभौर	राजस्थान	293.5100
39.	सरिस्का	राजस्थान	317.2500
40.	केएमटीआर	तमिलनाडु	271.6400
41.	मुदुमलई	तमिलनाडु	417.4700
42.	सत्यमंगलम	तमिलनाडु	229.8500
43.	अनामलाई	तमिलनाडु	199.2500
44.	श्रिविलिपुथुर मेगामलई	तमिलनाडु	458.0100
45.	कवल	तेलंगाना	401.6100
46.	अमराबाद	तेलंगाना	141.6500
47.	कॉर्बेट	उत्तराखंड	1056.0400
48.	राजाजी	उत्तराखंड	407.6700
49.	दुधवा	उत्तर प्रदेश	976.2200
50.	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	328.6300
51.	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल	587.1500
52.	बक्सा	पश्चिम बंगाल	121.1300
	कुल		**21949.9900**

*****

संस्वीकृतियों का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य	निर्मोचित राशि (लाख रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	292.1100
2.	अरुणाचल प्रदेश	869.0800
3.	असम	1476.7500
4.	बिहार	552.7200
5.	छत्तीसगढ़	355.8450
6.	झारखंड	195.0600
7.	कर्नाटक	2956.7000
8.	केरल	868.7825
9.	मध्य प्रदेश	3523.5225
10.	महाराष्ट्र	2991.0600
11.	मिजोरम	374.1300
12.	ओडिशा	1056.8600
13.	राजस्थान	841.0500
14.	तमिलनाडु	1576.2200
15.	तेलंगाना	543.2600
16.	उत्तराखंड	1463.7100
17.	उत्तर प्रदेश	1304.8500
18.	पश्चिम बंगाल	708.2800
कुल		**21949.9900**

<u>**अनुलग्नक IV - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए योजना व्यय**</u>

<u>**(दिनांक 31.03.2022 की यथास्थिति)**</u>

क्र. सं.	**बजट शीर्ष**	**बीई 2021-22**	**आरई 2021-22**	**व्यय**	**आरईकी तुलना में % व्यय**
	योजना - व्याघ्र परियोजना		(करोड़ रु. में)		
1.	3601.06.101.02.01.31 (राज्य सरकारों को सहायता) सामान्य अनुदान सहायता	154.50	131.50	131.50	100%
2.	3601.06.796.02.01.31 (राज्य सरकारों को सहायता) <u>जनजाति उप योजना</u> (**टीएसपी**), सामान्य अनुदान सहायता	35.00	30.00	30.00	100%
3.	3601.06.789.02.01.31 (राज्य सरकारों को सहायता) <u>अनुसूचित जाति उपयोजना</u> (**एससीएसपी**), सामान्य अनुदान सहायता	30.00	28.00	28.00	100%
4.	2552.00.114.06.03.31 (पूर्वोत्तर क्षेत्र को सहायता) सामान्य अनुदान सहायता	30.00	25.00	25.00	100%
5	2406.02.110.15.03	0.50	0.50	0.44	88%
	कुल	**250.00**	**220.00**	**219.94**	**99.97%**

2406.02.110.17.03 (राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण) (विस्तृत शीर्ष)					
क्र. सं.	**बजट शीर्ष**	**बीई 2021-22**	**आरई 2021-22**	**व्यय**	**आरईकी तुलना में % व्यय**
(क)	17.03.31 सामान्य अनुदान (समान्य)	8.50	8.50	8.50	100%
(ख)	17.03.36 अनुदान सहायता (वेतन)	1.50	1.50	1.33	88.67%
	कुल	**10.00**	**10.00**	**9.83**	**98.30%**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

दिनांक 31.03.2022 को तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

समग्र / पूंजीगत निधि एवं देयताएं	**अनुसूची**	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
समग्र / पूंजीगत निधि	1	31,289,948.00	33,917,911.10
आरक्षिति एवं अधिशेष	2	-	-
उद्दिष्ट एवं स्थायी निधि	3	-	-
जमानती ऋण एवं उधार	4	-	-
गैर-जमानती ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित क्रेडिट देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	4,867,885.10	2,335,127.00
कुल		**36,157,833.10**	**36,253,038.10**
आस्तियां			
अचल आस्तियां	8	31,335,757.00	33,804,065.00
उद्दिष्ट एवं स्थायी निधियों से निवेश	9	-	-
निवेश - अन्य	10	-	-
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिमआदि	11	4,822,076.10	2,448,973.10
विविध व्यय (बट्टे खाते या समायोजित न करने की सीमा तक)		-	-
कुल		**36,157,833.10**	**36,253,038.10**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं संबंधी टिप्पणियां	25		

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रुपए में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बिक्री / सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/सहायता	13	100,000,000.00	74,000,000.00
शुल्क/अभिदान	14	-	-
निवेशोंसे आय (उद्दिष्ट / स्थायी निधियों से निवेश पर आय/ निधियां, निधियों मे अंतरित)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	384,393.00	230,234.00
अन्य आय	18	-	18,475.00
घटा: (सरकारी खाते में जमा)		-	- 18,475.00
तैयार माल और डब्ल्यूआईपी के भण्डार में वृद्धि (कमी)	19	-	-
कुल (क)		**100,384,393.00**	**74,230,234.00**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	29,469,767.00	25,740,673.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	18,286,665.10	12,009,159.00
अनुदान, उपदान आदि पर व्यय	22	49,077,000.00	38,045,800.00
ब्याज (सरकारी खाते में भेजा गया)	23	384,393.00	142,630.00
मंत्रालय को वापसी योग्य ब्याज	7	-	87,604.00
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क का प्रावधान	7	-	100,000.00
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में कुल योग)	8	4,557,974.00	5,066,306.00
कुल (ख)		**101,775,799.10**	**81,192,172.00**
व्यय से अधिक आय (क - ख)		-1,391,406.10	- 6,961,938.00
पूर्व अवधि समायोजन (निवल)		-1,236,557.00	-
शेष राशि को समग्र/पूंजीगत निधि में आगे ले जाया गया		-	-
घाटे की शेष राशि को समग्र/पूंजीगत निधि अग्रेणित किया गया		-2,627,963.10	- 6,961,938.00
विशेष रिजर्व को अंतरण			
सामान्य रिजर्व को / से अंतरण			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं संबंधी टिप्पणियां	25		

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

31.03.2022 को समाप्त अवधि/वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपए में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I.प्रारंभिक रोकड़			**1. Expenses**		
(क) रोकड़ शेष	25,000.00	25,000.00	(क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुसार)	29,469,767.00	25,840,673.00
पेशगी	150,000.00	150,000.00	(वर्ष की शुरुआत में बकाया - साल के अंत में बकाया)	-735,820.00	649,610.00
(ख) बैंक शेष					
i) चालू खातों में जमा	-	-	(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुसार)	10,943,014.00	8,618,886.00
ii) जमा खातों में	-	-	(वर्ष की शुरुआत में बकाया - साल के अंत में बकाया)	-124,422.00	-122,902.00
iii) बचत खातों में	1,461,483.10	10,013,032.10	(ग) संस्थाओं/संगठनों को सहायता अनुदान (अनुसूची 22 के अनुसार)	49,077,000.00	38,045,800.00
II. प्राप्त अनुदान			(वर्ष की शुरुआत में देय - वर्ष के अंत में देय)	-	600,000.00
(क) भारत सरकार से	98,626,121.00	74,000,000.00	**II. विभिन्न परियोजनाओं की निधियों के लिए भुगतान**		
(ख) राज्य सरकार से	-	-	(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ निधि या परियोजना का नाम दर्शाया जाना चाहिए)	-	-
(ग) अन्य स्रोतों से (विवरण सहित)	-	-	i) अनुसंधान परियोजनाएं	-	-
(पूंजी के लिए अनुदान एवं राजस्व व्यय,	-	-	ii) प्रशिक्षण, कार्यशाला, सम्मेलन	5,541,814.00	3,390,273.00

अलग से दर्शाया जाए)					
III. निम्नलिखित निवेश से आय			**III. किए गए निवेश एवं जमा**		
(क) उद्दिष्ट / वृर्तिदान निधियां	-	-	(क) उद्दिष्ट / वृर्तिदान निधियों में से	-	-
(ख) स्व-निधियोंसे (अन्य निवेश)	-	-	(ख) स्व-निधियों में से (अन्यनिवेश)	-	-
IV. प्राप्त ब्याज			**IV. अचल आस्तियों तथा चालू पूंजीगत कार्यों पर व्यय**		
(क) बैंक जमा से	384,393.00	230,234.00	(क) अचल आस्तियों की खरीद	2,076,043.00	3,735,416.00
(ख) ऋण, अग्रिम आदि से	-	-	(ख) चालू पूंजीगत कार्य पर व्यय	-	-
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)			**V. अधिशेष राशि/ऋण की चुकौती**		
बैंक प्रभारों की चुकौती	-	-	(क) भारत सरकार को	-	-
पुरानी वस्तुओं/वस्तुओं की बिक्री आय	-	18,475.00	(ख) राज्य सरकार को	-	-
(सरकार के खाते में जमा)	-	-18,475.00	(ग) अन्य निधि प्रदाताओं को	-	-
VI. **उधार ली गई राशि**			**VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)**	380,221.00	2,350,037.00
VII. **कोई अन्य प्राप्तियों (उल्लेख करें)**			**VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**		
(क) विविध प्राप्तियां	-	-	(क) टीडीएस का भुगतान	-	-
(ख) स्कूटर अग्रिम पर ब्याज	-	-	(ख) प्रतिभूति जमा/अवमुक्त	3,794.00	-
(ग) प्रतिभूति जमा	-	-	(ग) समायोज्य राशि (अन्य विभागों द्वारा)	383,687.00	-
(घ) अग्रिमों की वसूली	4,959,320.00	3,069,396.00	(घ) नकद वसूली योग्य अग्रिम अथवा वसूली मूल्य	6,646,305.00	2,743,386.00
(ङ) टीडीएस की वसूली	-	-	(ङ) स्टाफ के लिए अग्रिम राशि	-	-
(च) स्टाफ कार वसूली	-	-	(च) अन्य विभागों को भुगतान (वेतन बिल से वसूली)	-	-
(छ) लाईसेंस शुल्क	-	-	(छ) बैंक प्रभार	-	-

(ज) वेतन बिलों से वसूली, अन्य विभागों से समायोज्य	-	-	(ज)-पेशगी अग्रिम की प्राप्ति	-	-
(झ) आस्तियों की बिक्री से आय	56,111.00	-	(झ) जमा (आस्तियों एवं पुरानी वस्तुओं / वस्तुओं की बिक्री से आय)	62,111.00	-
(ञ) वसूली गई जीआईए	-	-	**VIII. अंतिम शेष**		
(ट) पिछले वर्ष किए गए छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान का वापिस प्राप्त होना	-	-	(क) उपलब्ध नकद	25,000.00	25,000.00
			पेशगी	150,000.00	150,000.00
			(ख) बैंकशेष		
			(i) चालूखातोंमें	-	-
			(ii) जमा खातों में	-	-
			(iii) बचत खातों में	1,763,914.10	1,461,483.10
कुल	**105,662,428.10**	**87,487,662.10**	**कुल**	**105,662,428.10**	**87,487,662.10**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 1 - समग्र/पूंजीगत निधि

(राशि रुपए में)

अनुसूची 1 - समग्र/पूंजीगत निधि		**चालू वर्ष**		**पिछले वर्ष**
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि		33,917,911.10		42,465,841.10
जोड़ें /(घटाएं): निवल शेष आय (व्यय) आय एवं व्यय लेखा से अंतरित		-2,627,963.10		6,961,938.00
समग्र/पूंजीगत निधि समायोजन से अंतरित				-1,585,992.00
वर्षान्त में शेष राशि		**31,289,948.00**		**33,917,911.10**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 2 - आरक्षिति और अधिशेष

(राशि रुपए में)

अनुसूची 2 - आरक्षिति और अधिशेष	**चालू वर्ष**		**पिछले वर्ष**	
1.<u>पूंजी आरक्षित निधि</u> :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	(-)	-	(-)	-
2. <u>पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति निधि</u> :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	(-)	-	(-)	-
3. **<u>विशेष आरक्षित निधि</u>** :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	(-)	-	(-)	-
4. **<u>सामान्य आरक्षित निधि</u>** :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	(-)	-	(-)	-
<u>कुल</u>		**-**		**-**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 3 - निर्धारित / विन्यास निधियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 3 - निर्धारित / विन्यास निधियां	**निधि-वार ब्यौरा**				**कुल**	
	निधि कक	**निधि खख**	**निधि गग**	**निधि घघ**	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
क) निधियों का प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
ख) निधियों में परिवर्द्धन	-	-	-	-	-	-
i) दान / अनुदान	-	-	-	-	-	-
ii) निधियों की राशि से किए गए निवेश से प्राप्त आय	-	-	-	-	-	-
iii) अन्य जोड़ (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल (क+ख)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ग) निधियों के प्रयोजन के मद में उपयोग / व्यय						
i) पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-
- अचल आस्तियां	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ii) राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-
- वेतन, मजदूरी और भत्ता इत्यादि	-	-	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल (ग)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क + ख - ग)	-	-	-	-	-	-

टिप्पण :

(1) अनुदान से संबद्ध शर्तों के आधार पर संबंधित शीर्षों के अंतर्गत किए गए प्रकटन

(2) केंद्र / राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां पृथक निधि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और इसे किसी अन्य निधि में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 4 - प्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि रुपए में)

अनुसूची 4 - प्रतिभूत ऋण और उधार	**चालू वर्ष**		**पिछले वर्ष**	
1. केन्द्र सरकार		-	-	-
2. राज्य सरकार (नाम बताएं)		-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं				
क) सावधि ऋण	-		-	
ख) प्रोद्भूत ब्याज और देय	-	-	-	-
4. बैंक :				
क) सावधि ऋण	-		-	
- प्रोद्भूत ब्याज और देय	-		-	
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	-		-	
- प्रोद्भूत ब्याज और देय	-	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां		-	-	-
6. ऋण पत्र और बंध पत्र		-	-	-
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		-	-	-
कुल		**-**		**-**

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 5 - अप्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि रुपए में)

अनुसूची 5 - अप्रतिभूत ऋण और उधार	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक :	-	-
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	-	-
6. ऋण पत्र और बंध पत्र		
7. मियादी जमा	-	-
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल	-	-
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि	-	-

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएं

(राशि रुपए में)

अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएं	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
क) पूंजीगत उपस्कर और अन्य आस्तियों के बंधक से प्रत्याभूत स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 7 - चालू देयताएं एवं प्रावधान

(राशि रुपए में)

क. चालू देयताएं	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. स्वीकृतियां	-	-
2. विविध उधारकर्ता:	-	-
क) वस्तुओं के लिए	-	-
ख) अन्य	-	-
3. प्राप्त अग्रिम	-	-
4. प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं है	-	-
क) प्रतिभूत ऋण/उधार	-	-
ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार	-	-
5. वैधानिक देयताएं		
क) अतिदेय		
ख) अन्य		-
5. अन्य चालू देयताएं	-	-
(क) मंत्रालय को लौटाई जाने वाली अव्ययित अनुदान सहायता	1,672,138.10	-
(ख) मंत्रालय को लौटाया जाने वाला ब्याज	91,776.00	87,604.00
(ग) लौटाई जाने वाली प्रतिभूति	-	3,794.00
(घ) अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान देय	305,351.00	189,151.00
(ङ) वेतन एवं मजदूरी देय	2,551,296.00	1,931,676.00
(च) अन्य (व्यय देय)	147,324.00	22,902.00
कुल (क)	**4,767,885.10**	**2,235,127.00**
ख. प्रावधान :		
1. कराधान के लिए	-	-
2. उपदान	-	-
3. अधिवर्षिता / पेंशन	-	-
4. संचित अवकाश नकदीकरण	-	-
5. व्यापार वारंटी / दावे	-	-
6. अन्य (**सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क**)	100,000.00	100,000.00
कुल (ख)	**100,000.00**	**100,000.00**
कुल (क + ख)	**4,867,885.10**	**2,335,127.00**

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 8 - अचल आस्तियां

(राशि रुपए में)

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास						निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्य (क)	वर्ष के दौरान संवर्धन (ख)		वर्ष के दौरान कटौतियां (ग)	वर्षान्त में लागत/मूल्य (घ)	मूल्यह्रास दर% (ड़)	वर्ष के आरंभ में (च)	निम्न के दौरान संवर्धन(छ)		वर्ष के दौरान कटौतियां (ज)	वर्षान्त तक कुल योग (झ)	चालू वर्ष के अंत में (घ-च-छ)	पिछले वर्ष के अंत में
		1.4.2021-30.9.2021	1.10.2021-31.3.2022					1.4.2021-30.9.2021	1.10.2021-31.3.2022				
मूर्त आस्तियां													
भवन	16,856,976	-	-	-	16,856,976	10%	1,685,698	-	-	-	1,685,698	15,171,278	16,856,976
फर्नीचर, फिक्सचर	1,755,486	145,140	114,945	-	2,015,571	10%	175,549	14,514	5,747	-	195,810	1,819,761	1,755,486
वाहन	2,422,755	-	-	123,699	2,299,056	15%	344,858	-	-	-	344,858	1,954,198	2,422,755
सचल एवं संवहन उपकरण	143,437	-	24,858	-	168,295	15%	21,516	-	1,864	-	23,380	144,915	143,437
कार्यालय उपकरण	1,439,359	203,379	623,144	-	2,265,882	15%	215,904	30,507	46,736	-	293,147	1,972,735	1,439,359
निगरानी इले. प्रणाली	8,620,770	-	-	-	8,620,770	15%	1,293,116	-	-	-	1,293,116	7,327,654	8,620,770
कंप्यूटर/पेरीफेरल	640,141	177,500	787,077	-	1,604,718	40%	256,056	71,000	157,415	-	484,471	1,120,247	640,141
लाईब्रेरी पुस्तकें	16,519	-		-	16,519	40%	6,608	-	-	-	6,608	9,911	16,519
वैज्ञानिक/ तकनीकी उपकरण	59,564	-	-	-	59,564	15%	8,935	-	-	-	8,935	50,629	59,564
अमूर्त आस्तियां		-	-	-									
वेबसाईट	887,804	-	-	-	887,804	25%	221,951	-	-	-	221,951	665,853	887,804
सॉफ्टवेयर (एमआईएस एप्लीकेशन)	961,254	-	-	961,254	-	25%	-	-	-	-	-	-	961,254
कुल	33,804,065	526,019	1,550,024	1,084,953	34,795,155		4,230,191	116,021	211,762	-	4,557,974	30,237,181	33,804,065
सॉफ्टवेयर (विकासाधीन / चालू पूंजीगत कार्य)	0	1,098,576	-	-	1,098,576	0%	-	-	-	-	-	1,098,576	0
चालू वर्ष का कुल योग	33,804,065	1,624,595	1,550,024	1,084,953	35,893,731		4,230,191	116,021	211,762	-	4,557,974	31,335,757	33,804,065

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 9 - उद्दिष्ट/स्थायी निधियों से निवेश

(राशि रुपए में)

अनुसूची 9 - उद्दिष्ट/स्थायी निधियों से निवेश	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋणपत्र और बंधपत्र	-	-
5. समनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल		**-**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 10 - अन्य निवेश

(राशि रुपए में)

अन्य निवेश	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋणपत्र और बंधपत्र	-	-
5. समनुषंगी और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 11 - चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि रुपए में)

क. - चालू आस्तियां:	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. सामान सूची:	-	-
क) स्टोर्स तथा अतिरिक्त पुर्जे	-	-
ख) खुले औजार	-	-
ग) स्टॉक इन ट्रेड		
तैयार वस्तुएं	-	-
चालू कार्य	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध कर्जदार:		
क) 6 महीने से ज्यादा अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
ख) अन्य	-	-
3. उपलब्ध नकद (चैक/ड्राफ्ट तथा पेशगी सहित)		
उपलब्ध नकदी	-	-
पेशगी	175,000.00	175,000.00
4. बैंक में शेष राशि		
क) अनुसूचित बैंकों में :		
- चालू खातों पर	-	-
- जमा खातों पर (मार्जिन राशि शामिल है)	-	-
- बचत खातों पर	1,763,914.10	1,461,483.10
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में:		
- चालू खातों पर	-	-
- जमा खातों पर	-	-
- बचत खातों पर	-	-
5. डाकघर - बचत लेखा	-	-
कुल (क)	**1,938,914.10**	**1,636,483.10**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 11 - चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (क्रमशः जारी)

(राशि रुपए में)

ख .ऋण, अग्रिम तथा अन्य आस्तियां	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. ऋण:		
क. कर्मचारी	-	-
ख. संस्था के समान कार्यकलापों/उद्देश्यों में कार्यरत अन्य संस्थाएं	-	-
ग. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
2. नकद रुप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशियों में		
क. पूंजीगत लेखे पर	-	-
ख. पूर्व भुगतान	-	-
ग. अन्य	-	-
(i) अग्रिम (बैठक, कार्य्क्रम, यात्रा भत्ता इन्यादि)	1,898,371.00	211,386.00
(ii) प्रतिभूति जमा	62,184.00	62,184.00
(iii) स्रोत पर कर कटौती	538,920.00	538,920.00
3. प्रोद्भूत आय:		
क) उद्दिष्ट / स्थायी निधि से निवेश पर		-
ख) निवेश पर - अन्य		-
ग) ऋण एवं अग्रिम से		-
घ) अन्य (वसूली न जाने के कारण आय रु.... शामिल है)		-
4. प्राप्त होने वाले दावे (एम.इ.ए.)	383,687.00	-
कुल (ख)	**2,883,162.00**	**812,490.00**
कुल योग (क + ख)	**4,822,076.10**	**2,448,973.10**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय प्रपत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 12 - बिक्री / सेवाओं से आय

(राशि रुपए में)

बिक्री / सेवाओं से आय	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1) **बिक्री से आय**	-	-
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्ची सामग्री की बिक्री	-	-
ग) स्क्रैप्स की बिक्री	-	-
2) **सेवाओं से आय**		
क) श्रम एवं संसाधन प्रभार	-	-
ख) पेशेवर / परामर्शी सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमिशन एवं दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाए (उपस्कर / संपत्ति)	-	-
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय प्रपत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 13 - अनुदान/सब्सिडी

(राशि रुपए में)

(अप्रतिसंहरणीय अनुदान तथा प्राप्त सब्सिडी)	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. केन्द्र सरकार	100,000,000.00	74,000,000.00
2. राज्य सरकार/सरकारें	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थान / कल्याणकारी निकाय	-	-
5. अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य (उल्लेख करें)/बैंक टीआरएफ विविध	-	-
कुल	**100,000,000.00**	**74,000,000.00**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय प्रपत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 14 - शुल्क/अभिदान

(राशि रुपए में)

शुल्क/अभिदान	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क/अभिदान	-	-
3. सेमिनार / कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय प्रपत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 15 - निवेशों से आय

(राशि रुपए में)

निवेशों से आय	**उद्दिष्ट निधि से निवेश**		**अन्य निवेश से**	
निधियों में अंतरित उद्दिष्ट / स्थायी निधि से निवेश पर आय	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख. अन्य बंध पत्र / ऋण पत्र	-	-	-	-
2. लाभांश				
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

उद्दिष्ट / अक्षय निधि में अंतरित

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय प्रपत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय

(राशि रुपए में)

रॉयल्टी / प्रकाशन से आय	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1) रॉयल्टी से आय	-	-
2) प्रकाशन से आय	-	-
3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय प्रपत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	**पिछले वर्ष**
1. **सावधिजमा पर**		
(क) अनुसूचित बैंकों में	-	-
(ख) गैर अनुसूचित बैंकों में	-	-
(ग) संस्थानों में	-	-
(घ) अन्य	-	-
2. बचत खातों में		
(क) अनुसूचित बैंकों में	384,393.00	230,234.00
(ख) गैर अनुसूचित बैंकों में	-	-
(ग) डाक घर बचत खातों में	-	-
(घ) अन्य	-	-
3. ऋण पर		
(क) कर्मचारी	-	-
(ख) अन्य	-	-
4. देनदारों पर ब्याज एवं अन्य प्राप्तियां	-	-
कुल	**384,393.00**	**230,234.00**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय प्रपत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 18 - अन्य आय

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	**पिछले वर्ष**
1. आस्तियों की बिक्री / निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली आस्तियां	-	18,475.00
ख) अनुदानों से अधिग्रहित या नि:शुल्क प्राप्त आस्तियां	-	-
2. वसूली गयी निर्यात प्रोत्साहन राशि	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय	-	-
कुल	**-**	**18,475.00**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय प्रपत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 19 - तैयार माल के स्टॉक एवं प्रगतिधीन कार्य में वृद्धि / कमी

(राशि रुपए में)

तैयार माल के स्टॉक एवं प्रगतिधीन कार्य में वृद्धि / कमी	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
क) अंतिम स्टॉक		
. तैयार माल	-	-
. प्रगतिधीन कार्य	-	-
ख) घटाएं : प्रारंभिक स्टॉक	-	-
. तैयार माल	-	-
. प्रगतिधीन कार्य		
शुद्ध वृद्धि / (कमी) [क - ख]	**-**	**-**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय प्रपत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 20 -स्थापना व्यय

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	पिछ लेवर्ष
क) वेतन तथा मजदूरी	27,400,042.00	24,118,992.00
ख) भत्ते तथा बोनस / एक्सग्रेशिया भुगतान	1,511,850.00	-
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (निर्दिष्ट करें)	-	-
ड) स्टॉफ कल्याण व्यय	-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभों पर व्यय : अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	305,351.00	513,312.00
छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
एलटीसी भुगतान	122,105.00	288,179.00
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	-	484,140.00
एनटीसीए अधिकारियों के (चिकित्सा, समाचार पत्र, कार्यालय बैग, टेलीफोन शुल्क आदि) दावों की प्रतिपूर्ति	130,419.00	336,050.00
कुल	**29,469,767.00**	**25,740,673.00**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय प्रपत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि रुपए में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. खरीद	-	-
ख. सवारी भत्ता एवं गाड़ी भाड़ा	58,117.00	63,454.00
ग. मरम्मत एवं अनुरक्षण**		
भवन	345,452.00	365,118.00
अन्य	347,463.00	210,284.00
घ. वाहन चालन व्यय	256,346.00	268,256.00
ङ. वाहन अनुरक्षण	94,619.00	69,668.00
च. डाक खर्च, टेलीफोन तथा संप्रेषण प्रभार	209,786.00	224,315.00
छ. मुद्रण, प्रकाशन तथा पत्र-पत्रिकाएं	21,577.00	191,719.00
ज. यात्रा व्यय		
घरेलू	3,034,349.00	3,065,808.00
विदेश	1,671,783.00	-
झ. विधिक और व्यवसायिक प्रभार	395,055.00	726,123.00
ञ. आतिथ्य व्यय	166,014.00	182,219.00
ट. विज्ञापन तथा प्रसार	-	1,381,314.00
ठ. बिजली और पानी प्रभार	142,842.00	163,257.00
ड. वितरण व्यय	-	-
ढ. मुद्रण तथा लेखन सामग्री	760,379.00	327,210.00
ण. इम्प्रेस्ट व्यय	-	-
त. पुनर्स्थापन / संचलन व्यय	-	-
थ. बैंक प्रभार	-	-
द. अन्य कार्यालय व्यय	3,368,172.00	1,296,161.00
ध. किराया	71,060.00	83,980.00
न. अप्रयोज्य आस्तियों की बिक्री से घाटा	67,588.00	-
प. जमा (आस्तियों / पुरानी वस्तुओं / सामान की बिक्री से प्राप्त)	62,111.00	-
फ. अंशदान / अनुदान वापसी	1,672,138.10	
ब. प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सम्मेलनों/बैठकों पर व्यय	5,541,814.00	3,390,273.00
कुल	**18,286,665.10**	**12,009,159.00**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय प्रपत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 22 - अनुदान, उपदान इत्यादि का व्यय

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान	49,077,000.00	38,045,800.00
ख. संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी	-	-
कुल	**49,077,000.00**	**38,045,800.00**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय प्रपत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 23 - ब्याज

(राशि रुपए में)

	अनु.	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. सावधि ऋणों पर		-	-
ख. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)		-	-
ग. अन्य (सरकारी खजाने में जमा किया गया ब्याज)		384,393.00	142,630.00
जमा किया गया ब्याज (पिछले वर्षों से सम्बंधित)	**23(क)**	-	1,880,083.00
कुल		**384,393.00**	**2,022,713.00**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय प्रपत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 23 (क) - **समग्र/पूंजीगत निधि समायोजन**

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	**पिछले वर्ष**
क. पूर्व अवधि आय	-	-
अचल आस्तियों से संबंधित	-	276,981.00
व्यय से संबंधित	-	625,000.00
वर्तमान देयता से संबंधित (सुरक्षा धनवापसी।)	-	21,600.00
राजस्व प्राधिकरण के साथ शेष से संबंधित	-	24,175.00
कुल (क)	**-**	**947,756.00**
ख. पूर्व अवधि व्यय		
ऋण और अग्रिम संपत्ति से संबंधित	-	337,665.00
पीडब्ल्यूडी एडवांस से संबंधित	-	316,000.00
पिछले वर्षों से संबंधित ब्याज	-	1,880,083.00
कुल (ख)	**-**	**2,533,748.00**
कुल (क-ख)	**-**	**-1,585,992.00**

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

दिनांक 31.03.2022 को वित्तीय विवरणों में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन आधार

वित्तीय विवरण, लेखांकन की आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन नीतियों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. अचल आस्तियां

अचल आस्तियों को प्रापण की लागत, जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर तथा अनुषंगी एवं प्रापण संबंधी प्रत्यक्ष व्यय समाहित हैं, में से संग्रहित अवमूल्यन को घटाकर दर्शाया गया है।

अचल आस्तियां गैर-आर्थिक अनुदान के रूप में प्राप्त (कॉर्पस निधि के अतिरिक्त) मूल्यगत पूंजी के रूप में संगत पूंजी रिजर्व के रूप में वर्णित हैं।

3. अवमूल्यन

अचल आस्तियों पर अवमूल्यन आयकर अधिनियम, 1961 में प्रदत्त दरों पर ह्रासित मूल्य पर किया गयाहै। सितंबर माह के पश्चात् प्राप्त की गयी आस्तियों को आस्ति के लिए विहित अवमूल्यन दर के आधे दर पर अवमूल्यन किया गया है।

4. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों की गणना प्राप्ति आधार पर की गयी है।

5. सामान्य

लेखांकन नीतियां जो विशिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं हैं, अन्यथा तालमेल में हैं।

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम ***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण***

दिनांक 31.03.2022 को तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 25 : लेखाओं संबंधी आकस्मिक देयताएं एवं टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं:

संस्था के प्रति देय दावों को ऋण के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धता:

पूंजीगत लेखे से निष्पादित नहीं हुई संविदाओं का प्राक्कलित मूल्य एवं जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम के निवल) - शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

3. चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम

प्रबंधन के अनुसार, चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिमों की कीमत कारोबार के सामान्य तरीके से वसूली करने पर पता लगती है, जो कम से कम तुलन-पत्र में दर्शायी गई संपूर्ण राशि के समान हो।

4. संलग्न अनुसूची 1 से 25, 31 मार्च, 2022 के तुलन पत्र तथा उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय लेखे का अनिवार्य भाग है।

5. जमापर ब्याज आय को प्रोद्भूत आधार पर और सकल आंकड़ों में दर्शाया गया है और स्रोत पर कटौती को पृथक रूप से दर्शाया गया है।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली 110021

No. DGA/ESD/EA/233/SAR/NTCA/2021-22/354 दिनांक 23 SEP 2022

सेवा में,

Dr. S.P. Yadav
ADG (PT) & MS,
National Tiger Conservation Authority, MOEF & CC
7th floor, Pandit Deendayal Antyadaya Bhawan, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003

विषय: **Separate Audit Report on the Accounts of National Tiger Conservation Authority, New Delhi for the year 2021-22**

महोदय,

मुझे वर्ष 2021-22 के लिए National Tiger Conservation Authority, New Delhi का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया/अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा ज़ारी किया गया रेज़ोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद में प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियाँ इस कार्यालय तथा दो प्रतियाँ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाए। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियाँ भी इस कार्यालय को सूचित की जाए।

भवदीया,

संलग्नक:– पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

निदेशक (पर्या.ले.)

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखा संबंधी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

समय समय पर यथासंशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38द के साथ पठित नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के संबद्ध तुलन - पत्र, आय एवं व्यय तथा प्राप्तियां एवं भुगतान की लेखापरीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करना है।

2. इस अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उत्तम लेखा व्यवहार, लेखा मानक एवं प्रकटन मापदंड के वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में लेखा उपचार संबंधी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां दी गई हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन संबंधी वित्तीय लेन-देन तथा दक्षता सह-निष्पादन पहलू आदि, यदि कोई हो तो, संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निरीक्षण रिपोर्टों / सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टो में अलग दर्शाया गया है।

3. हमने भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण, वस्तुगत मिथ्या बयानी से मुक्त है, अपनी लेखापरीक्षा की आयोजना एवं निष्पादन करते हैं। लेखापरीक्षा में राशियों के अनुसमर्थन में लगे साक्ष्यों तथा वित्तीय विवरण के प्रकटन का जॉच आधार पर परीक्षण करना शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के साथ - साथ प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का निर्धारण करना भी शामिल है। हमें यह विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हमारा प्रतिवेदन है कि :

(i) हमने वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(ii) इस रिपोर्ट लिए लेखा परीक्षा किए गए तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखो वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38द के अंतर्गत यथा अपेक्षित सभी लेखा बहियां और अन्य प्रासंगिक अभिलेख एनटीसीए द्वारा अनुरक्षित रखे गये हैं, जहॉ तक यह ऐसी लेखा बहियों की हमारी जॉच से प्रतीत होता है।

(iv) आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) तुलन पत्र :

1. आस्तियां

क. सामान्य

1. व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण कोष का सृजन नहीं करना

(i) पूर्व अवधि से संबंधित स्थापना व्यय पर प्राधिकरण द्वारा 8.79 लाख रुपये (वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए 4.15 लाख रुपये और वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए 4.64 लाख रुपये) खर्च किए गए {बाल शिक्षा भत्ता और संविदा कर्मचारियों को बोनस का भुगतान (अनुसूची-20)}। इसके परिणामस्वरूप व्यय में 8.79 लाख रुपये की अधिबयानी और और पूर्व अवधि व्यय में उसी राशि की कम बयानी हुई है।

(ii) अन्य प्रशासनिक व्यय में 1.33 लाख रुपये का पूर्व अवधि व्यय शामिल है जिसके परिणामस्वरूप व्यय में अधिबयानी और पूर्व अवधि व्यय में कम बयानी हुई है।

(iii) पूंजीगत आस्ति निर्माण अनुदानों से निर्मित आस्तियों के अभिलेख नहीं रखना : जीएफआर 2017 के नियम 233 के अनुसार, पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता में से निर्मित आस्तियों को प्रधिकरण के पूर्व अनुमोदन से अनुदान प्रदाता संस्थान द्वारा प्रतिधारित या निपटाया जा सकता है। तथापि, प्राधिकरण ने पूंजीगत आस्ति निर्माण अनुदानों से निर्मित आस्तियों का कोई अभिलेख नहीं रखा था। यद्यपि, इस विसंगति के बारे में पिछले वर्षों के दौरान भी इंगित किया गया था, तथापि प्राधिकरण ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

(घ) अनुदान सहायता :

एनटीसीए के पास 16.36 लाख रुपये के प्रारंभिक बैंक जमा और 54.00 लाख रुपये की अन्य प्राप्तियों के अलावा 986.26 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई थी। 1056.62 लाख रुपये की कुल उपलब्ध राशि में से एनटीसीए ने 1037.24 लाख रुपये भुगतान किया और 19.38 लाख रुपये की राशि का अंतिम शेष रह गया था।

(ङ) प्रबंधन पत्र

उन कमियां को जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, को उपचारात्मक / सुधारात्मक कार्रवाई हेतु एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से अलग से जारी कर सदस्य सचिव, एनटीसीए के संज्ञान में लाया गया।

(v) पूर्व के अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में चर्चा किए गए तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां एवं भुगतान लेखाओं की बहियों से मेल खाते हैं।

(ii) हमारी राय में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं हमारी उत्तम सूचना के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण लेखाओं की नीतियों एवं टिप्पणियों के साथ पठित तथा ऊपर दिए गए महत्वपूर्ण विषय तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य विषय, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एवं सत्य हैं :

क. जहॉ तक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार एनटीसीए के तुलन पत्र, मामलों की प्रस्थिति का संबंध है और

ख. जहॉ तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे में घाटा का संबंध है।

स्थान : नई दिल्ली — भारत के सीएंडएजी के निमित्त और उनकी ओर से

तिथि : 23. 09. 2022 — लेखापरीक्षा महानिदेशक (ई एंड एसडी)

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा/नियंत्रण प्रणाली

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), नई दिल्ली के प्रधान भुगतान एवं लेखा कार्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध द्वारा प्राधिकरण की सालाना लेखापरीक्षा करना आवश्यक था जिसे मार्च, 2020 में पूरा किया गया था। पीएओ, एमओईएफसीसी द्वारा वर्ष 2020-22 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित नहीं की गयी थी।

2. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

लेखा परीक्षा में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कमियां पायी गयीं थी।

मार्च 2020 तक आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की गयी थी, परंतु लेखापरीक्षा को रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

(ख) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

लेखा परीक्षा द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कमियां देखीं गयीं थीं:-

i. अनुदानों का रजिस्टर नहीं बनाए रखना **:-** जीएफआर 2017 के नियम 234 के अनुसार, जीएफआर-21 में दिए गए प्रारूप में संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा एक अनुदान रजिस्टर रखा जाएगा। एनटीसीए ने वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को 490.77 लाख रुपये के अनुदान जारी किए थे, तथापि, एनटीसीए द्वारा कोई अनुदान रजिस्टर नहीं रखा गया था।

ii. जीएआर 5 के अनुसार कीमती वस्तु रजिस्टर, जीएफआर 18 के अनुसार परिग्रहण रजिस्टर, जीएफआर 23 के अनुसार उपभोज्य स्टॉक रजिस्टर, जीएफआर 22 के अनुसार अचल आस्ति राजिस्टर और निवेश रजिस्टर विहित प्ररूप में नहीं रखे गये थे।

iii. एनटीसीए द्वारा प्रतिभूति जमा रजिस्टर नहीं रखे गए थे।

iv. आय कर अधिनियम 1961 की धारा 10 (46) के अनुसार, सांविधिक निकाय को आय कर के संबंध में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गयी अधिसूचना के अध्यधीन आय कर के भुगतान से छूट दी जा सकती है। एनटीसीए ऐसी छूट की संस्वीकृति से संबंधित कोई अधिसूचना / दस्तावेज प्रस्तुत / प्राप्त करने में विफल रहा था। इसके बावजूद, इसने आय कर विवरणी दाखिल नहीं था जिसे इस तथ्य से सुनिश्चित किया जा सकता है कि बैंक एफडीआर पर कटौती किए गए टीडीएस के मद में 538920 रुपये की राशि का प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण

द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। इसलिए, एनटीसीए पिछली लेखा परीक्षाओं में बार-बार ध्यान दिलाए जाने के बावजूद अपने सांविधिक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा।

3. **अचल आस्तियां और मालसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

i. वर्ष 2018-22 के लिए अचल आस्तियों का भौतिक सत्यापन आयोजित नहीं किया गया था।

ii. वर्ष 2021-22 के लिए उपभोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन आयोजित नहीं किया गया था।

iii. वर्ष 2021-22 के लिए पुस्तकों/पुस्ताकलय का भौतिक सत्यापन आयोजित नहीं किया गया था।

iv. लेखा परीक्षा को उपभोज्य वस्तुओं/पुस्तकालय के भौतिक सत्यापन की अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। इसलिए, लेखा परीक्षा यह निश्चित नहीं कर पायी कि एनटीसीए द्वारा इनका पिछला भौतिक सत्यापन किस अवधि के लिए किया गया था। यद्यपि, पिछले वर्षों के दौरान भी लेखा परीक्षा द्वारा इस विसंगति की ओर ध्यान दिलाया गया था, तथापि, प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

4. सांविधिक देयों के भुगतान की नियमितता

प्राधिकरण ने वर्ष 2021-22 के दौरान देय होने की तिथि से छह माह से अधिक समय तक कोई सांविधिक देय बकाया नहीं रखा था।

हस्ताक्षर

निदेशक (ई.ए.)

संजय कुमार झा
महानिदेशक

महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग
ए. जी. सी. आर. भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली - 110002

डीजीए (ईएसडी)/ईए/एसएआर/233/ एनटीसीए/2021-22/357
दिनांक : 23 सितंबर 2022

प्रिय डॉ. यादव,

मैंने राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और दिनांक 23.09.2022 के पत्र के तहत तत्संबंधी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है। लेखापरीक्षा के आयोजन के दौरान अनुलग्नक - क के अनुसार कुछ कमियां देखी गयीं थी जो अपेक्षाकृत गौण थी और इसलिए इन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था। है। इन्हें उपचारात्मक और सुधारात्मक कार्रवाई हेतु आपके संज्ञान में लाया जा रहा है।

सादर,

भवदीय,
हस्ताक्षर

संलग्नक : यथोक्त

डॉ. एस पी यादव,
अपर महानिरीक्षक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
7वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी जी ओ कॉम्प्लेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003

अनुलग्नक 'क'

(i) लेखा की पड़ताल से पूर्व वर्ष कॉलम के आंकड़े की तुलना में पिछले वर्ष की लेखा के आंकडों में विसंगति है, जो इस प्रकार है :

क्र.सं.	शीर्ष	सही आंकड़े	गलत आंकड़े
1.	स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के संगत)	25740730.00	25840730.00
2.	(वर्ष के प्रारंभ में बकाया - वर्ष के अंत में बकाया)	-22902.00	-122902.00

तुलन पत्र

3.13 करोड़ रुपये की आस्तियां

आय और व्यय लेखा में कंप्यूटर उपभोज्य शीर्ष के अंतर्गत राजस्व व्यय के रूप में सॉफ्टवेयर लाइसेंस पर 0.08 लाख रुपये का व्यय। चूँकि किया गया व्यय भावी उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर लाइसेंस हेतु किया गया है, इस लिए इसे पूंजीकृत किए जाने की आवश्यकता थी और तुलन पत्र में आस्ति के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप आस्तियों के तहत 0.07 लाख रुपये (0.08 लाख रुपये - 0.01 लाख रुपये) की कम बयानी हुई है और व्यय में उतनी ही राशि की अधिक बयानी हुई।

आय एवं व्यय लेखा

व्यय

मूल्यह्रास - 0.09 लाख रुपये

एनटीसीए द्वारा 0.99 लाख रुपये की राशि को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किया गया जबकि आई टी अधिनियम, 1961 के अनुसार इसे 1.98 लाख रुपये होना चाहिए था, जिसके परिणामस्वरूप व्यय में 0.99 लाख रुपये की कम बयानी हुई और अचल आस्ति में उतनी ही राशि की अधिक बयानी हुई।

निदेशक (ई.ए.)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

नई दिल्ली -110 003